खण्ड–8, अंक–2
सोमवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1925
(31 मार्च, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2003)

(खण्ड 8 में 6 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	...	...	क
प्रश्नोत्तर	...	...	1–34
देहरादून नगर के बीचोंबीच से गुजरने वाले नाले की नियमित सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	34–35
उत्तरांचल में नगर निकाय कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	35
हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में बस स्टैंड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	35
पुरौला के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव मझेली गंगटाडी आदि विकासखण्डों में हुए भीषण अग्निकांड से पीड़ितों को राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	35–36
चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा झिलोटी मस्ट गांव में चल रहे पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	36
पिथौरागढ़ में अलगड़ा पेयजल योजना की पाईप लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में हुए पेयजल संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	37
रानीखेत विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड ताड़ीखेत के बनघट नामक स्थान पर गगनस नदी पर झूलापुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	37
औचित्य के प्रश्न	...	...	37–38
जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट, विमाण्डेश्वर ईडा मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	...	38
जनपद उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र को पृथक जनपद बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	...	38
जनपद उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)		...	38
जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)		...	38
जनपद उत्तरकाशी के चामी सिगुणी–नौगांव, गोडर–सुल्याखोल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	...	39
जनपद चमोली के चन्द्रशिला पट्टी गोदली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	...	39

विषय			पृष्ठ संख्या
जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत खोड़ा–खजुरानी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	...	39
उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)		...	39
कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम का निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)		...	40–41
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	...	41–60
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उ0प्र0) कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)		...	61–64
उत्तरांचल (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	...	...	64–67
उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	...	...	67–69
उत्तरांचल (उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	...	...	69–73
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	73–76
उच्चतम न्यायालय द्वारा शेट्टी आयोग की संस्तुति पर न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किए जाने पर विचार हेतु संकल्प (स्वीकृत)	...	...	76–78
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	...	78–83
प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (जारी)	...	...	83
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	83–84
नत्थियाँ	...	...	85–86

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा देवी
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौलदास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14–श्री गोपाल सिंह
15–श्री गोविन्द लाल
16–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17–श्री चन्द्रशेखर
18–श्री जोत सिंह
19–श्री तसलीम अहमद
20–श्री तिलक राज बेहड़
21–श्री तेजपाल सिंह रावत
22–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23–श्री नव प्रभात
24–श्री नारायण दत्त तिवारी
25–श्री नारायण पाल
26–श्री नारायण राम आर्य
27–श्री नारायण सिंह जंतवाल
28–काजी निजामुद्दीन
29–श्री प्रकाश पंत
30–डॉ० प्रताप बिष्ट
31–श्री प्रीतम सिंह
32–श्री प्रीतम सिंह पंवार
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34–श्री फूलसिंह बिष्ट
35–श्री बलबीर सिंह नेगी
36–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
37–श्री बिशन सिंह चुफाल
38–श्री भगत सिंह कोश्यारी
39–श्री मदन कौशिक
40–श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
41–श्री महेन्द्र भट्ट
42–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दु भाई)
43–श्री मातबर सिंह कण्डारी
44–श्री माल चन्द्र
45–चौ० यशवीर सिंह
46–श्री रणजीत सिंह
47–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
50–डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51–श्री शहजाद
52–श्री साधू राम
53–श्री सुबोध उनियाल
54–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
56–श्री हरबंस कपूर
57–श्री हरभजन सिंह चीमा
58–श्री हरिदास
59–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
60–श्री हीरा सिंह बिष्ट
61–श्री हेमेश खर्कवाल
62–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 31 मार्च, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देहरादून जनपद में ग्राम भारूवाला ग्रांट के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डोमिसाइल्ड यूरोपियन को–ऑपरेटिव सोसाइटी क्लेमेन्टाउन की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा कथित कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में

**1–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री के संज्ञान में है कि ग्राम भारूवाला ग्रांट जो कि डोईवाला जनपद देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डोमिसाइल्ड यूरोपियन को–ऑपरेटिव सोसाइटी लि0 क्लेमेन्टाउन (सहकारी समिति) जनपद देहरादून की भूमि खसरा नं0 559, 562 तथा 565 कुल 30.00 बीघा को बदर्रा पैट्रिक सोसायटी के सदस्यों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा खुर्द–बुर्द किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उपरोक्त भूमि एम0डी0डी0ए0 के कब्जे में है? यदि हां तो क्या सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित कर सरकारी उपयोग में लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

यह सत्य है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डोमिसाइल्ड यूरोपियन को–ऑपरेटिव सोसाइटी लि0 क्लेमेन्टाउन जो इस समय परिसमापन के अन्तर्गत है, खसरा नं0 559, 562 तथा 565 कुल 30 बीघा भूमि को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबन्धन में दिया गया है, इस भूमि को सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहण किया जाना सरकार के विचाराधीन है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर जो जवाब आया है कि वह विचाराधीन है। भू–माफियाओं द्वारा इस भूमि पर लगातार कब्जा किये जाने की कोशिश की जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक इसका अधिग्रहण कर लिया जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह जो भूमि का मामला है, इसमें जो सोसाइटी है, वह 1935 में रजिस्टर्ड की गई थी, इसके पास कुल 1544 बीघा जमीन थी, इसमें कुछ भूमि आर्मी को भी दी गई। मान्यवर, इसमें जो कब्जे होते थे, उनको हमने रोका है, इसमें एम0डी0डी0ए0 द्वारा भी बिना किसी सूचना के नक्शे पास किये गये, उसके बाद कन्टोनमेन्ट बोर्ड ने भी बिना किसी सूचना के नक्शे पास किये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है, तब से कोई नक्शे पास नहीं हुए, उसमें सरकार

पूर्णरूप से जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। कन्टोनमेन्ट बोर्ड के हिसाब से नक्शे पास होने की सूचना हमारे पास नहीं आ पायी है। इसमें जो प्रशासक नियुक्त किये गये, उनके द्वारा कुछ लापरवाही पिछली बार हुई थी, हमें अमानत में खयानत करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने अपने स्तर पर प्रशासक ए0डी0एम0 को बनाया है, इस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसमें जो भूमि बची है, उसको किसी न किसी रूप में सदुपयोग के काम में लायेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अवगत कराया कि मसूरी विकास प्राधिकरण एवं कन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा गलत तरीके से नक्शे पास किए गए हैं तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यदि प्राधिकरण ने गलत तरीके से नक्शे पास किए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? तथा उन नक्शों को निरस्त करके उक्त भूमि को सोसाइटी को या जिसकी भी यह भूमि है, उसको सुपुर्द करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता बिल्कुल जायज है, किन्तु मैं सदन के सामने स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों या प्रशासकों के माध्यम से गलत तरीके से जमीन को बांटा गया, उसकी जानकारी के लिए सरकार गम्भीर है तथा सरकार इस सम्बन्ध में जांच करा रही है, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की जाएगी, दोषी अधिकारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जायेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बात साबित हो चुकी है कि जमीन को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या आज तक किसी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है? यदि की गई है, तो किन लोगों के विरुद्ध की गई है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, सम्मानित विधायक जी को इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि हमने जांच बिठाई है। इस जमीन के गलत तरीके से नक्शे पास बहुत पहले से किए जाते रहे। हमारी सरकार से पूर्व भी इस जमीन के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है, उसके तहत पूरी जांच बिठाकर के एक–एक चीज का विश्लेषण किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है या नहीं तथा एफ0आई0आर0 की गई है तो किन लोगों के विरुद्ध की गई है? यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी तथा जांच कब बिठाई गई?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जहां तक जांच बिठाने का सवाल है, हमारी सरकार के द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही इसकी जांच माह अप्रैल में बिठाई गई।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जांच कब बिठाई गई, जांच कौन–कौन लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का जवाब गोल–मोल है, यह तो सीधे सदन को गुमराह करने का प्रश्न है।

मान्यवर, माननीय सदस्य का स्पेसिफिक प्रश्न है, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, अभी तक की जो रिपोर्ट आयी है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें जांच अधिकारी कौन था?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जांच अधिकारी, ए0डी0एम0 देहरादून, श्री जोशी द्वारा की गयी, उस जांच के तहत जो रिपोर्ट आयी है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कभी कह रहे हैं, जांच कर ली गयी है, कभी कह रहे हैं, जांच चल रही है। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह समिति सन् 1935 की रजिस्टर्ड है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपका उत्तर सही नहीं आ रहा है, इससे ऐसा लग रहा है, सरकार के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ आयें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो कार्यवाही की गयी है, उसकी जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं। मान्यवर, जो जांच के तहत हमारे पास रिपोर्ट है, जांच (व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, ऐसा लगता है, इसमें सरकार के लोग सम्मिलित हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की बात पूरी सुनने का कष्ट करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने और अन्य कई सदस्यों ने इस प्रश्न को स्थगित करने की मांग की है, यदि आप स्थगित करने का निर्णय दें तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि प्रश्न यह है कि 30 बीघा भूमि ब्रदर्स पैट्रिक सोसाइटी के सदस्यों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा खुर्द–बुर्द किया जा रहा है और मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर है कि 30 बीघा भूमि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के कब्जे में है। मान्यवर, यह कागजों में तो हो सकता है, पर मैं यह चाहता हूं कि मौके पर जाकर देखा जाये कि वह 30 बीघा भूमि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के कब्जे में है या नहीं। मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर इस सदन में आना चाहिए।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी ने कहा कि वह 30 बीघा भूमि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के कब्जे में है या नहीं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह 30 बीघा भूमि–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कब्जे में है। मान्यवर, इसमें जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के तहत जो जमीन खुर्द–बुर्द की गई है, उस पर हमने रोक लगाई। मान्यवर, हमारे विभाग के माध्यम से उस पर यह लिखकर जा चुका है कि जो इस तरह का कार्य करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। दूसरी बात जो आख्या मांगी है, उस पर हमने साफ कह दिया है कि इस पर हम विचार करेंगे कि इसमें क्या करना है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इसका स्पष्ट उत्तर यहां की 80 लाख जनता जानना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में पशुओं पर मुँहपका रोग के उपचार हेतु सचल टीम का गठन

**2–काजी निजामुद्दीन–

क्या पशुपालन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में इस समय दुधारू पशु खुरपका–मुंहपका रोग से ग्रस्त हैं?

यदि हां तो क्या सरकार उक्त रोग से ग्रस्त पशुओं के उपचार हेतु सचल टीम का अविलम्ब गठन करेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हां।

जी हां, सचल टीम का गठन हो चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस टीम का गठन किया गया है, उसमें कौन–कौन लोग हैं और उनका पदनाम क्या है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह जिला मुख्य पशु अधिकारी पर निर्भर करता है कि कौन सा अधिकारी कहां भेजा जाएगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को बहुत छोटा न मानें और इसका बहुत ही छोटा जवाब न मानें। मान्यवर, यदि किसान की एक भैंस मर जाती है तो यह समझिए कि उसका परिवार 8 वर्ष पीछे चला जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस टीम में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डॉक्टरों के पास दवाएं हैं या नहीं? और मान्यवर, जब सरकार यह मान रही है कि खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियां फैल रही हैं तो क्या इफेक्टेड एरिया में खुरपका और मुंहपका का वैक्सीनेशन कराया गया है या नहीं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो सचल टीम का गठन है, यह हरिद्वार जनपद में इस तरीके से किया गया है कि जहां भी ऐसी सूचना मिलती है या बीमार पशुओं से सम्बन्धित कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए ही इस टीम का गठन किया गया है। मान्यवर, जैसा कि हमारे माननीय विधायक ने चिन्ता जाहिर की कि यदि भैंस मर जाती है तो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है तो इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि जहां भी ऐसी सूचना प्राप्त हो वहां टीम, डॉक्टर तथा दवाओं के साथ भेजी जाए। मान्यवर, वैक्सीनेशन किया जाता है और पशुओं की बीमारी से निपटने का प्रयास किया जाता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हरिद्वार जनपद के बारे में तो बता दिया कि मुख्य पशुधन अधिकारी के नेतृत्व में सचल दल गठित कर दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या अन्य जनपदों में भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है या की गयी है? मान्यवर, मेरी जानकारी है कि अन्य जनपदों में भी ऐसे संक्रामक रोगों से पशु ग्रसित हैं तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य जनपदों में भी ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह व्यवस्था अन्य जनपदों में भी होगी, यह हमारी सरकार का प्रयास है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह खुरपका और मुंहपका बीमारी जो हरिद्वार में फैली है और आपके द्वारा सचल दल का गठन कर दिया गया है, क्या इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया है, क्या वास्तव में इस सचल दल ने काम किया है या यह सब कुछ केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह कागजों तक ही सीमित रहने वाली बात नहीं है। जहां से सूचना आती है, वहां हमारी टीम जाती है। पूरे प्रदेश में इस समय जो सूचना हमें मिली है, हमने तत्काल अपने सी०पी०ओ० को कहकर टीमें भेजी हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह जो भी टीम है, इसका सीधे–सीधे सम्बन्ध किसान से है और आज किसानों का व्यस्ततम समय चल रहा है, गेहूं की बुआई का समय है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये सचल टीमें कितनी भेजी हैं, क्योंकि हरिद्वार बहुत बड़ा जनपद है और क्या उन टीमों ने वैक्सीनेशन किया है?

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक कौन–कौन से गांव में वैक्सिनेशन किया गया है, वो गांव कौन से हैं? वहां टीम गयी है या नहीं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सम्मानित विधायक जी ने पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि हरिद्वार जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पशुओं से संबंधित जो भी बीमारी की सूचना मिलती है तो वहां तत्काल कार्यवाही की जाती है। हरिद्वार में सचल टीम को जहां भी सूचना मिलती है, सचल टीम वहां पहुंची है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि टीकाकरण अगर किया गया है तो कहां किया गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, पूरे हरिद्वार जनपद में टीकाकरण किया गया है। इसकी जानकारी माननीय विधायक जी को लिखित में दे दी जायेगी।

श्री हरिदास–

मान्यवर, तीन महीने पहले हमने शिकायत की थी, पशुओं के इंजेक्शन के बारे में, लेकिन तीन महीने बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और आज तक किसी भी पशु को इंजेक्शन नहीं लगाया गया और न आज तक डाक्टर ही पहुंचे हैं और न हमारे यहां दवाई आयी। अगर ऐसा रहा तो क्या तीन महीने बाद पशु जीवित रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी को लेनी चाहिए और इसका जवाब माननीय मंत्री जी देंगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने निर्देश दिये हैं और मैं सम्मानित सदस्य की जानकारी में ला दूं कि जहां–जहां इसकी सूचना मिली है, वहां–वहां हमने टीम भेजी है। मान्यवर, जब पशुओं को कोई बीमारी ही नहीं है तो वैक्सीनेशन की क्या आवश्यकता?

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा नेता सदन से यह अनुरोध है, वैसे माननीय मंत्री जी की मेहनत पर कतई संदेह नहीं है फिर भी सदन के अंदर जो प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा पूछा जाता है, उसको आपके मंत्री सीरियस न लेकर सरलता से लेते हैं। माननीय सदस्यों का सीधा प्रश्न है कि अगर सचल टीम बनी है तो कहां–कहां गयी, कितने गांव में अभी तक घूमी? मान्यवर, मेरा नेता सदन से निवेदन है कि उनके मंत्री महोदय आपसे ट्रेनिंग लें। तब बात करें। अगर वो उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे यहां आ जाए और ट्रेनिंग ले लें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारा ऐसा मंतव्य नहीं है और न था कि हम सरकार की सदन के सामने इतनी हल्की बात करें। जो सवाल पूछा गया सचल टीम का, तो सचल टीम बनाई गयी है। जहां भी उनको सूचना मिलती है, वहां वह तत्काल जाती है। मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं। जो पशुओं की बीमारी का सवाल है, जिसके लिए सम्मानित विधायक चिन्तित हैं तो हमारा जो पशुपालन विभाग है, वह पूरी तत्परता से लगा हुआ है, उनको जहां सूचना मिलती है, वे वहां तत्काल कार्यवाही करते हैं।

मान्यवर, मेरे विभाग के माध्यम से दवाओं की सप्लाई की जा रही है। (व्यवधान) मान्यवर, पहले मेरी बात सुनी जाये। हमने यह तय किया है कि पशुओं की बीमारी के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जायेगी और यदि किसी भी जनपद से पशुओं की किसी भी बीमारी की कोई सूचना प्राप्त होगी तो उस पर गम्भीरता से कार्यवाही की जायेगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी के यह कहने पर अफसोस हो रहा है कि जब बीमारी ही नहीं तो टीकाकरण कैसा? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज कितने बच्चे बीमार हैं जो पोलियों की दवा पिलाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं इसकी पूरी जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूंकि इस प्रश्न का जो पहला भाग है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया

है कि ग्रामीण अंचलों में इस समय दुधारू पशु खुरपका–मुंहपका रोग से ग्रस्त हैं और सरकार ने स्वीकार भी किया है कि पशु इस रोग से ग्रस्त हैं। इसके बाद उत्तर यह आ रहा है कि रोग ही नहीं तो वैक्सीनेशन कैसा? मान्यवर, ये विरोधाभासी उत्तर दिये जा रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपके माध्यम से निर्देश आना चाहिए कि सरकार ऐसे गैर जिम्मेदाराना उत्तर न दे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जैसा माननीय पंत जी ने कहा है, ऐसा हमारा मंतव्य नहीं है। हर जनपद में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जहां तक पशुओं की बीमारियों का संबंध है, जहां से भी सूचना प्राप्त होती है, हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि पशुओं में जब बीमारी लगती है तो वहां सचल टीम भेजी जाती है। मान्यवर, चमोली जनपद के विकासखण्ड पोखरी और घाट में तीन बार भेड़, बकरियों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो चुकी हैं, यहां एक परिवार की ही 150 भेड़ें एक बार में ही मर चुकी हैं, लेकिन यहां पर कोई सचल टीम नहीं गई और न ही कोई दवा वितरित की गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पशुओं की बीमारी पर सचल टीम भेजी जाती है, लेकिन एक जनपद में 3–3 बार पशुधन की क्षति होने पर भी सचल टीम नहीं भेजी गई।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने चमोली जनपद की जिस घटना का उल्लेख किया, उसकी सूचना हमारे तक नहीं पहुंच पाई। मान्यवर, पहले हमारे पास स्टॉफ की कमी थी। अब हमारे विभाग द्वारा पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है और फार्मेसिस्टों को भी प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्त किया जा रहा है। पहले स्टॉफ की वजह से काफी दिक्कत थी, लेकिन अब भविष्य में स्टॉफ की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में विद्युत आपूर्ति

*1–श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 माह जून, जुलाई तथा अगस्त में उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में कितने घण्टे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराई गयी?

क्या विद्युत कटौती की घोषणा की गई थी तथा इसकी जानकारी जनता को दी गयी थी? यदि नहीं, तो अघोषित विद्युत कटौती के क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

माह जून, जुलाई तथा अगस्त में हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 20 घण्टे, पिथौरागढ़ को लगभग 23 घण्टे एवं शेष जनपदों में लगभग 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराई गयी।

विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे की जा रही है और कोई विद्युत कटौती नहीं की जाती है। केवल ब्रेकडाउन, अनुरक्षण शटडाउन व वितरण सिस्टम की भार क्षमता में कमी होने के कारण कतिपय क्षेत्रों में कुछ समय के लिये आपूर्ति बाधित होती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था वह बिल्कुल स्पेसिफिक था, परन्तु उत्तर फिर गोल–मोल आ गया है। मान्यवर, इसमें उत्तर आया है कि लगभग 23 घण्टे या लगभग 24 घण्टे तो मान्यवर, मैंने तो लगभग नही पूछा था। मैंने पूछा था कि वर्ष 2002 माह जून, जुलाई तथा अगस्त में उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में कितने घण्टे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराई गयी? और उन्होंने उत्तर दिया है कि केवल पिथौरागढ़ तथा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शेष जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

मान्यवर, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या विद्युत कटौती की घोषणा की गई थी तथा इसकी जानकारी जनता को दी गयी थी, यदि नहीं तो अघोषित विद्युत कटौती के क्या कारण हैं? इसका उत्तर आया है कि आपूर्ति 24 घण्टे की जा रही है और ब्रेक डाउन अनुरक्षण शटडाउन व वितरण सिस्टम की भार क्षमता में कमी होने के कारण कतिपय क्षेत्रों में कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित होती है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ब्रेक डाउन, अनुरक्षण शटडाउन तथा वितरण सिस्टम के भार के कारण किन–किन जनपदों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित रही और कौन–कौन से जनपदों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को यह बताना चाहती हूं कि जून माह में देहरादून में 24 घण्टे, मसूरी तथा ऋषिकेश में 24–24 घण्टे, हरिद्वार में 24 घण्टे, रुड़की/मंगलौर तथा लक्सर में 24 घंटे, नैनीताल में 24 घण्टे, पौड़ी जनपद में 24 घण्टे, टिहरी में 24 घण्टे, उत्तरकाशी में 24 घण्टे, रुद्रप्रयाग में 24 घण्टे, बागेश्वर में 24 घण्टे, चम्पावत में 23 घण्टे, अल्मोड़ा में 24 घण्टे तथा पिथौरागढ़ में 22 घण्टे 25 मिनट विद्युत आपूर्ति की गई तथा जुलाई माह में देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा आदि सभी जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई केवल अल्मोड़ा जनपद में 21 घण्टे और पिथौरागढ़ में 22 घण्टे 15 मिनट विद्युत आपूर्ति की गई तथा माह अगस्त में सभी जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई केवल पिथौरागढ़ जनपद में 22 घण्टे 45 मिनट विद्युत आपूर्ति की गई थी। लेकिन यह आंकड़े वर्ष 2002 के हैं, वर्तमान में सभी जनपदों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

मान्यवर, जनवरी माह में 132 के0वी0 का नया सब–स्टेशन स्थापित हो गया है, जिसके कारण पिथौरागढ़ में भी 24 घण्टे बिजली उपलब्ध होती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह जो लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है, इसमें और माननीया मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है, दोनों में विरोधाभास है। पहले जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा है, सभी जगह 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है, जबकि अभी माननीया मंत्री जी ने बताया कि चम्पावत में 23 घण्टे और अल्मोड़ा में 21 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह विरोधाभास क्यों है?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, इन जगहों पर लगातार बिजली दी जा रही है किन्तु कभी–कभी ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्थानीय सिस्टम में व्यवधान के कारण 24 घण्टे बिजली आपूर्ति नहीं होती है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी के उत्तर से मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, जिसका समाधान मैं माननीया मंत्री जी से चाहता हूं। अभी माननीया मंत्री जी ने अपने अनुपूरक उत्तर में इस बात का उल्लेख किया कि पिथौरागढ़ जनपद में उक्त तीन महीनों में औसतन 23 घण्टे बिजली की आपूर्ति की गयी। यह आंकड़े शहरी क्षेत्रों के लिए तो सही हो सकते हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह आंकड़े सही नहीं हैं। पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज 3–4 घण्टे बिजली जाना आम बात है। आप इसकी जांच करवा सकते हैं। मान्यवर, 132 के0वी0 की नयी लाइन जो पिथौरागढ़ के लिए बनी है, वह बहुत लम्बे समय से इस ऊहापोह में रूकी रही कि इसका उदघाटन केन्द्रीय मंत्री से कराया जाय अथवा राज्य मंत्री से, किन्तु अन्ततः वह चालू हो गयी। लेकिन आज की तारीख में भी पिथौरागढ़ जनपद के शहरी क्षेत्रों में तो विद्युत आपूर्ति सही है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सही नहीं हो रही है। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सही करने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे तथा रूलर एरिया में 20 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है। हम नये–नये सब–स्टेशन बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, संभवतः माननीया मंत्री जी यह भूल गयीं कि ऊधमसिंह नगर भी उत्तरांचल राज्य में आता है। क्योंकि माननीया मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहीं पर भी ऊधमसिंह नगर का उल्लेख नहीं किया है।

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा उद्योग हैं, माननीया मंत्री जी ऊधमसिंह नगर को लेकर गम्भीर नहीं हैं। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पावर का सवाल है, बड़ा अहम है, इसे लाइटली न लिया जाये, हकीकत यह है कि वहां पर जो इनडिवीज्वल लाइन हैं, उनके ऊपर भी शहर

और देहात को एक ही में कर दिया जाता है, उससे वहां पर जो उनका उत्पादन है वह अवरुद्ध हो जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर पावर कट कब से कब तक होगा। इसकी जानकारी उद्योगों को क्यों नहीं दी जाती।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मूल प्रश्न के सेकण्ड पार्ट में माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या विद्युत कटौती की घोषणा की गई थी तथा इसकी जानकारी जनता को दी गई थी? जो दो घण्टे कटौती की गई थी, उसको स्वीकार कर लिया। क्या कटौती की घोषणा की गई थी, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया है? मैं समझता हूं कि मूल प्रश्न के साथ जो प्रश्न है, उसका उत्तर आना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा है कि क्या तीन महीनों में विद्युत कटौती करने की घोषणा की थी? तथा आपने उसकी जानकारी जनता को दी थी, यह तो एक प्रकार से हाउस को मिसलीड किया गया है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, उत्तरांचल में कोई कटौती नहीं है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। जो जून, जुलाई तथा अगस्त में कटौती की गई थी, उसकी सूचना जनता को दी गई थी। इन प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए, इसका उत्तर आया ही नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण पिछली बार सदन में उपस्थित नहीं हो सका। सदन के माननीय सदस्यों ने, नेता विरोधी दल ने जो मुझे सद्भाव और सहानुभूति दी, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, मैं सम्मानित सदस्य, पिथौरागढ़ को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया, इसके लिए बधाई देता हूं। यह सवाल वर्ष 2002 के माह जून, जुलाई तथा अगस्त के लिए पूछा है जिससे स्पष्ट होता है कि उसी बीच कुछ त्रुटियां हुई होंगी जिसका बाद में निदान कर दिया गया। विद्युत कटौती कभी–कभी अघोषित हो जाती है, जिसका कारण आंधी, वर्षा तथा प्राकृतिक आपदाएं होती हैं।

माननीय नेता विरोधी दल जो पूर्व में विद्युत मंत्री रह चुके हैं, उनको इसका पर्याप्त अनुभव होगा कि विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में कौन–कौन सी कठिनाईयां आती हैं। पूर्व में विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो कार्यवाही की गई, उन्हीं को जारी रखते हुए विद्युत व्यवस्था को और पुष्ट करने का प्रयास लगातार जारी है। इसी के तहत ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत 361.52 लाख रुपये की योजना को उत्तरांचल के छः (6) मण्डलों के लिए मंजूर किया गया है। पारेषण और वितरण सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। फिर भी कहीं–न–कहीं कोई कमी तो रह ही जाती है। उत्तरांचल को एक पावर ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। जिससे विद्युत कटौती कम से कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 20 घण्टे बिजली देने की बात कही गई है, यदि हम किसानों को 24 घण्टे बिजली देंगे तो ट्यूबवेल का रेट बढ़ जायेगा,

इतना विद्युत खर्च वे वहन नहीं कर पाएंगे, 20 घण्टे बिजली देने के सम्बन्ध में हमने किसानों से राय ली थी, उन्हीं की राय पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे बिजली दी।

मान्यवर, पिथौरागढ़ में 132 के०वी० विद्युत लाईन तथा बरेली से हल्द्वानी के बीच 220 के०वी० विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, प्रश्न यह था कि कितने घण्टे बिजली आती है, आपके अधिकारियों को सही उत्तर देना चाहिए था, बाकी आपकी बात से हम सहमत हैं।

तारांकित प्रश्न

नवसृजित उत्तरांचल राज्य का वित्तीय घाटा एवं ऋण

*1-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार के ऊपर कितना कर्ज का बोझ है?

इस कर्ज के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

क्या मुख्यमंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के 1500 करोड़ रुपये के घाटे को किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

भारत सरकार तथा महालेखाकार से अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-03-2002 को उत्तरांचल सरकार की रु० 35,06,76,81 करोड़ (रुपया पैंतीस अरब छः करोड़ छिहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की ऋण ग्रस्तता है।

नियमित रूप से यथा-समय इसका भुगतान किया जा रहा है।

वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बारहवें वित्त आयोग से भी इस संदर्भ में पुरजोर निवेदन किया जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर आया है कि 35 अरब, 6 करोड़, 76 लाख, 81 हजार रुपये का कर्जा हमारे प्रदेश पर है, यह हैरानी की बात है, मैं यह जानना चाहता हूं कि भुगतान कब-कब और कितनी किस्तों में किया जाता है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं जो 1500 करोड़ रु० का वित्तीय घाटा है, इसे पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबन्धन द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, जिस समय राज्य बना था, उस समय हमारे ऊपर 26 अरब, 48 करोड़, 60 लाख, 75 हजार, 955 रु० का ऋण था।

मान्यवर, राष्ट्रीय अल्प बचत योजना से 309.94 करोड़ का ऋण है। मान्यवर, 31 मार्च, 2002 तक भारत सरकार एवं महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल का कुल ऋण 3506.7681 करोड़ मात्र है। जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था तब से

हमारे ऊपर ऋण 26 अरब से अधिक था। मान्यवर, हमने भारत सरकार से सहायता मांगी थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मान्यवर, ऋण ग्रस्त राज्य है इसलिए इस पर प्रश्न नहीं उठता कि ऋण कितना है, अच्छी बात तो यह है कि यहां की आर्थिक व्यवस्था इस दृष्टि से अच्छी है कि हम नियमित रूप से ऋण का भुगतान कर रहे हैं और ऋण का भुगतान कितना किया जा रहा है, यह भी बता दूं कि इस अवधि में रु0 1 अरब 15 करोड़ 40 लाख 98 हजार की ऋण अदायगी कर दी गई है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हू कि कितना ब्याज और कितने मूलधन की अदायगी हुई है और दूसरी बात यह है कि जो वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा यह 1500 करोड़ रुपये का घाटा है, इसको पूरा करने के लिए क्या–क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितने ऋण की अदायगी की गई है, वह सब मैंने बता दिया है। मान्यवर, जब–जब रिजर्व बैंक के स्तर से ऋण का भुगतान किया जाता है तो भारत सरकार, महालेखाकर मूलधन किस्तों, ब्याज के भुगतान की स्थिति को राज्य सरकार को सूचित करें, लेकिन अभी तक करा नहीं है, जब सूचित करेंगे, तब उत्तर देंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य बनने पर 27 अरब का कर्जा था। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि कई बार राज्य सरकार का ऋण केन्द्र सरकार माफ कर देती है, तो क्या हमारी सरकार उस कर्जे को माफ कराने के लिए प्रयास करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, जो सवाल हमारे उक्रांद के मा0 विधायक ने पूछा है, यह समस्या राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तक और नगर स्तर तक, जितनी भी चुनी हुई हमारी प्रतिनिधि संस्थाएं है, उनके सामने आती ही रहती हैं। उत्तरांचल राज्य के साथ–साथ झारखण्ड और छत्तीसगढ़ को भी जो धनराशि आवंटित हुई वह मूल राज्य या क्षेत्रीय राज्य कह सकते हैं, उसके माध्यम से जो पुनर्गठन अधिनियम था, सन् 2000 का, उसके अन्तर्गत मिला। उसमें उ0प्र0 की आबादी और यहां की आबादी के हिसाब से मिला। जो कुल था उसका 95 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देना रहा और 5 प्रतिशत हमें आवंटित हुआ और उसके बाद जो ऋण हमने लिया, उसका विवरण अभी माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी आपके सामने रख दिया। और इसके बाद हमारा निरंतर प्रयास रहा है और मुझे आशा है कि आगे भी अब 12वां वित्त आयोग जस्टिस रंगराजन के नेतृत्व में बन गया है।

मान्यवर, 11वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, वह उत्तरांचल राज्य बनने के 3 माह पहले हो चुकी थीं, इसलिए उत्तरांचल को आयोजनेत्तर कोई भी ग्रान्ट नहीं मिली, यह बात माननीय नेता विरोधी दल को भी मालूम है,सभी को मालूम है। कुछ अन्य कारणों से सहवर्ती राज्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वित्त आयोग के मेमोरेण्डम में बहुत कम मांग रखी गयी, उस समय। यह एक तथ्यात्मक विवरण है, इसकी वजह से

पूर्ववर्ती सरकार, जब माननीय नित्यानन्द स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो पैसा मिला वह सिर्फ 17 करोड़ रु0 था तो आप अन्दाज लगाएं कि हिमांचल प्रदेश में पौने 5 करोड़ रु0 5 वर्ष के लिए मिला और उत्तरांचल को मात्र 17 करोड़ रु0 मिला। यह हमारी कठिनाई नहीं है, शासन की कठिनाई नहीं है, यह उत्तरांचल की कठिनाई है। एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है जिसे हम कभी–कभी भूल जाते हैं, और मैं स्वयं भी इसे कभी–कभी भूल जाता हूं कि हमारे पास आयोजनेत्तर व्यय के लिए पैसा है ही नहीं, जो वित्त आयोग से मिला हो। यदि हमें वह धनराशि मिलती तो आप देखते कि इसमें कुछ न कुछ जरूर सुधार हुआ होता। इसी बीच में नए केन्द्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक योजना–"ऋण परिवर्तन योजना" प्रारम्भ हुई है जिसके अन्तर्गत अधिक ऋणों को कम ब्याज वाले ऋणों में परिवर्तित किया जा रहा है, इसके अन्तर्गत 497 करोड़ रुपये की उच्च ब्याज वाले ऋणों का भुगतान करके हम 6.95% ब्याज दर वाली इतनी ही धनराशि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य के ब्याज में कमी आए। महालेखाकार और रिजर्व बैंक मिलकर पहले ही ब्याज को एडजस्ट कर लेते हैं।

हमारे सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि सरकार को कर्ज लेने की नौबत कम से कम हो। लेकिन बिना कर्ज लिए कोई सरकार नहीं चलती। कैपिटल बजट ही कर्ज पर आधारित है, चाहे वह भारत सरकार द्वारा हो या अन्य, कर्ज के बिना संसार की कोई सरकार नहीं चलती। अमरीका जैसा देश भी संसार का सबसे बड़ा कर्जदार है। इस कर्जे के बिना कोई सरकार हो, किसी भी दल की हो, चलती ही नहीं। इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में पूरा प्रयास है कि ओवरड्राफ्ट की नौबत न आए। बजट प्रणाली सारे देश की एक होती है, हमारे यहां कोई अलग नहीं है जिसे सभी दल मान्य करते हैं। उसी के अनुसार हम चलते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता सदन जी ने कहा कि ओवरड्राफ्ट की नौबत न आए तो क्या पिछले साल भर में कोई ओवरड्राफ्ट लिया गया या नहीं लिया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आपके विरोधी दल नेता रहते हम ऐसा नहीं कर सकते।

उत्तराखण्ड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को रोजगार

*2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के शहीदों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की सरकारी नीति क्या है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक कितने शहीद आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है?

क्या सरकार शेष शहीद आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तराखण्ड आन्दोलन के शहीदों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

23 शहीदों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जा चुका है।

उक्त 23 शहीदों के अतिरिक्त अन्य किसी शहीद की प्रमाणिक सूचना नहीं है। इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है। अतिरिक्त प्रकरण की पुष्टि होने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की सरकारी नीति क्या है? जवाब आया है कि शहीदों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, कुल 42 लोग उत्तराखण्ड आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनमें से 23 शहीदों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि सरकार शहीदों के प्रति कितनी उदासीन है? अन्य शहीद परिवार के आश्रितों पर अभी सरकार छानबीन कर रही है तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक छानबीन पूरी कर ली जायेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड आंदोलन के शहीदों के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई इसका संदर्भ है तो दे दें। यहां पर जो संदर्भ आया है, उसके बारे में निर्णय ले लिया गया है और कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीया मंत्री जी ने बताया कि 23 शहीदों के आश्रितों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है लेकिन एक संदर्भ ऐसा है जो उत्तराखण्ड आंदोलन में घायल हुआ था और अभी हाल में ही उसकी मृत्यु हो गयी है। उसका नाम अशोक डिमरी है। इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रकरण उपलब्ध करा दें। इसका सन्दर्भ ले लिया जायेगा।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, यह प्रकरण शासन को उपलब्ध कराया जा चुका है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका सन्दर्भ ले लिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जिन 23 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई है, इनका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गत सरकार के निर्णय के अनुसार 23 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। इनकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने बताया कि छान–बीन की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए कौन सी एजेन्सी को लगाया गया है? क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई है? यदि रिपोर्ट नहीं आई है तो कब तक आ जायेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, छान–बीन विभाग और शासन में सचिव के स्तर पर हो रही है। जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इनके पास कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 42 शहीदों का उल्लेख किया है। मेरा माननीया मंत्री जी से निवेदन है 42 में 23 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है तो क्या शेष को भी नौकरी दी जायेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उपलब्ध सूचना के अनुसार घायल इस श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन यदि अन्य शहीदों के बारे में प्रमाणिक तथ्य मिलेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, श्री धर्मानन्द भट्ट जी भी उत्तराखण्ड आन्दोलन में शहीद हुए थे, लेकिन उनके किसी आश्रित को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रकरण उपलब्ध करा दें। कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने 23 लोगों को नौकरी दी, लेकिन 42 शहीदों की जानकारी माननीय श्री प्रीतम सिंह पंवार जी ने दी। पहला प्रश्न यह है कि क्या शेष बचे लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है और उन्हें नौकरी देगी? दूसरा प्रश्न उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान बहुत से लोग गोलियों से घायल हुए थे और पिछले सत्र के दौरान अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग इनको सम्मान देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :– नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या 02 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, जौलीग्रान्ट में आरक्षित सीटों के प्रवेश में अनियमिततायें

*3—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून में चालू शैक्षणिक सत्र में एम0बी0बी0एस0, पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में श्री अतुल कुमार तथा कु0 सपना को जिस वर्ग के लिये आरक्षित सीट में प्रवेश दिया गया है, वे उस श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं हैं?

यदि हां, तो उपर्युक्त को प्रवेश दिलाने के लिए संस्तुति करने के लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं?

क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं , तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून में चालू शैक्षणिक सत्र में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में श्री अतुल कुमार तथा कु0 सपना नाम के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*4—श्री मदन कौशिक—

प्रथम बुध के तारांकित 9 में स्थानान्तरित।

विकासखण्ड यमकेश्वर के गनोली पुल टूटने से मृतकों के आश्रितों/घायलों को आर्थिक सहायता

*5—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि दिनांक 22 नवम्बर, 2002 की रात्रि में जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम–पंचुर–यमकेश्वर से ग्राम–गनोली एक बारात दुगड्डा जाते समय गनोली पुल टूट जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, और अधिकांश बाराती गम्भीर रूप से घायल हो गये?

यदि हां, तो क्या उक्त दुर्घटना हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी?

क्या मृतका के परिवार एवं घायलों को उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी नहीं।

दुर्घटना की आख्या जिलाधिकारी से प्राप्त होने पर मृतक के परिजन/गम्भीर रूप से घायल 04 व्यक्तियों तथा 41 अन्य घायलों को विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

स्वीकृत की गई धनराशि का वितरण जिलाधिकारी पौडी गढ़वाल द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार की औद्योगिक नीति

*6—काजी निजामुद्दीन—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की औद्योगिक नीति क्या है? तथा सरकार द्वारा इसके प्रचार—प्रसार तथा कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 21 जुलाई, 2001 को नवगठित उत्तरांचल राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति, 2001 प्रख्यापित की गई थी। इसके उपरान्त दिनांक 7 जनवरी, 2003 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिये विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्यतः उद्योगों को आयकर, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा केन्द्रीय पूंजी उपादान की दीर्घकालीन रियायतें प्रदान की गई हैं। इस घोषणा का प्रचार राज्य के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के माध्यम से तथा विभिन्न मेलों एवं गोष्ठियों में किया गया है। उत्तरांचल सरकार की वेब साइट में भी उक्त घोषणा उपलब्ध करा दी गई है।

विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा के परिपेक्ष्य में औद्योगिक नीति, 2001 की विशिष्टताओं को ग्रहण करते हुए राज्य की नई औद्योगिक नीति की संरचना पर कार्यवाही की जा रही है। उक्त नीति को अन्तिम रूप देने के बाद ही उसका प्रचार व क्रियान्वयन पर विचार सम्भव है।

हरिद्वार के खादर—दोआब क्षेत्र में प्रतिबंधित गन्ना प्रजाति सम्बन्धी

*7—कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत खादर—दोआब क्षेत्र में प्रतिबंधित गन्ना प्रजाति, बी0ओ0—91 के स्थान पर किसी अन्य प्रजाति, को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है?

यदि हां, तो उक्त नई प्रजाति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं?

यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के मानकों के अनुरूप जल प्लावित क्षेत्र खादर के गन्ना किसानों का बी0ओ0—91 प्रजाति का गन्ना अन्य गन्ना प्रजातियों से रु0 2.50 प्रति कुन्तल कम दर पर क्रय किये जाने का निर्णय लिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जल प्लावित (खादर–दोआब) क्षेत्र के लिए, यू0पी0 9529, यू0पी0 9530 एवं को0से0 96436 प्रजातियां अनुशंसित हैं, जिनका शर्करा प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, ये प्रजातियां मध्यम रोग रोधी है और इन प्रजातियों की उत्पादकता भी अधिक है।

अस्वीकृत प्रजाति होने के कारण बी0ओ0–91 प्रजाति का क्रय दर निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*8–श्री प्रकाश पन्त–

–तृतीय शुक्रवार के तारांकित 4 में स्था0।

पिथौरागढ़ में सोबला विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की जानकारी

*9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सोबला द्वितीय चरण विद्युत परियोजना द्वारा कुल कितने किलोवाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है तथा उक्त परियोजना की कुल लागत क्या है?

क्या वर्तमान में परियोजना का कार्य चल रहा है?

यदि हां, तो अब तक कुल कितने रुपये खर्च किये जा चुके हैं?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद पिथौरागढ़ में सोबला द्वितीय चरण विद्युत परियोजना द्वारा कुल 1500 किलोवॉट का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है एवं परियोजना की लागत रु0 460 लाख आंकी गई है।

इस परियोजना में सोबला प्रथम चरण से पानी उपलब्ध होगा। सोबला प्रथम चरण परियोजना बाढ़ से पूर्व में क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसका पुनरोद्धार दिसम्बर, 2004 तक होगा। अतएव सोबला द्वितीय चरण का कार्य दिसम्बर, 2004 तक शुरु होगा।

अब तक रु0 291.72 लाख व्यय हो चुके हैं।

सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों में अधिकतम आयु सीमा पर विचार

*10–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु 21 वर्ष से 35 वर्ष आयु निर्धारित है। आयु सीमा को 40 वर्ष करने पर आरक्षित वर्ग के अधिकतम आयु के अभ्यर्थियों को पेंशन के लाभ से वंचित रहना होगा तथा पंचम वेतन आयोग द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है।

रुद्रप्रयाग के महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में स्नातक स्तर पर वाणिज्य, विज्ञान, बी0एड0 एवं एलएल0बी0 विषयों को प्रारम्भ करने पर विचार

*11–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि में स्नातक स्तर पर वाणिज्य, विज्ञान, बी0एड0 एवं एलएल0बी0 के विषयों को प्रारम्भ करने का विषय सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान की कक्षायें संचालित हैं। वाणिज्य विषय में अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बी0एड0 एवं एलएल0बी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्नातक स्तर पर वाणिज्य विषय में अस्थायी सम्बद्धता हेतु यथा शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*12–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

प्रथम शुक्रवार के तारांकित 9 में स्थानान्तरित।

कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

*13–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्थानान्तरण प्रदेश के कर्मचारियों के किये गये, उसके लिए कोई नीति बनाई गयी थी?

यदि हां, तो उक्त नीति की घोषणा कब तक की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सभी विभागों को 2002–2003 के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके नीति निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे।

19 जुलाई, 2002 को शासनादेश निर्गत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में बाहर की संस्थाओं द्वारा विद्युतीकरण हेतु सर्वे

*14—श्री अजय भट्ट—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में सरकार ने उत्तरांचल से बाहर की कुछ संस्थाओं द्वारा विद्युतीकरण हेतु सर्वे कराया है?

यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा इनके द्वारा जनपदवार कुल कितने गांवों का सर्वे किया गया है?

इस सर्वे में कुल कितना धन सरकार द्वारा दिया गया है?

क्या इन गांवों के विद्युतीकरण का कार्य भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा?

यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हां।

भारत सरकार के उपक्रम, मै0 राईट्स लि0 से जनपदवार गांवों का सर्वेक्षण कराया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।

कुल विद्युतीकरण लागत के 1.1 प्रतिशत के आधार पर रु0 46.46 लाख का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जायेगा।

जी नहीं।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ 85 पर)

अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में विद्युत बिलों के वितरण की व्यवस्था

1—श्री मदन कौशिक—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में विद्युत बिलों के वितरण की क्या व्यवस्था है?

क्या विद्युत बिलों को बैंकों अथवा डाकघरों में जमा कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में विद्युत बिलों के वितरण के लिए स्पाट बिलिंग, कम्प्यूटर से बिल बनाने तथा बड़े उपभोक्ताओं के हाथ से बिल तैयार करने की व्यवस्था है। कम्प्यूटर तथा हाथ से तैयार बिलों का वितरण निगम द्वारा कतिपय क्षेत्रों में निजी एजेन्सीज द्वारा किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में बैंकों व पोस्ट ऑफिस से प्राप्त प्रस्तावों पर उनसे वार्ता हो रही है ताकि उपभोक्ताओं को इन संस्थाओं के माध्यम से विद्युत बिल जमा कराने की सुविधा प्राप्त हो सके।

उत्तरांचल में विदेशी नागरिकों का अवैध निवास

2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने विदेशी नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं?

क्या सरकार द्वारा इस विषय में छान–बीन की जा रही है?

यदि हां, तो अब तक कितने विदेशियों को वापस भेजा जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे पंजीकृत विदेशी नागरिकों की संख्या पांच है।

हां।

जी नहीं।

देहरादून जनपद में दो बंगलादेश के नागरिक बिना पासपोर्ट, बीजा के निवास कर रहे हैं। इनके उद्वासन की कार्यवाही प्रचलित है। उत्तरकाशी जनपद में एक जर्मन नागरिक जिसे एफ0आर0ओ0 उत्तरकाशी द्वारा भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के विरुद्ध उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। जिस पर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद में एक अफगान नागरिक को तथा एक बंगलादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

अल्मोड़ा के चौखुटिया में राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का चयन

3—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकासखण्ड चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा में स्थापित राजकीय महाविद्यात्य हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है?

यदि हां, तो सरकार कब तक चयनित भूमि पर भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नवस्थापित महाविद्यालयों के विकास हेतु चरणबद्ध ढंग से कार्यवाही प्रचलित है। तत्पश्चात् भूमि/भवन का चयन किया जायेगा।

उत्तरांचल सचिवालय में, परिवहन निगम व अन्य निगमों के सम्बद्ध चालकों का समायोजन

4—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सचिवालय में परिवहन निगम एवं अन्य निगमों के सम्बद्ध वाहन चालकों का समायोजन कर दिया गया है?

यदि हां, तो क्या सरकार नगर—निकायों एवं निगमों के उत्तरांचल सचिवालय में सम्बद्ध कर्मचारियों का भी समायोजन करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

निगमों से सम्बद्ध ऐसे वाहन चालकों का, जो उत्तरांचल राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 के प्रतिबन्धों एवं शर्तों को पूरा करते हैं, का समायोजन कर लिया गया है।

जी हां, संबंधित पदों की उपलब्धता एवं उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली, 2002 की शर्तों को पूर्ण करने वाले कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में एलएल0बी0 की कक्षाएं खोलने का प्रस्ताव

5—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में एलएल0बी0 कक्षाएं खोलने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में एलएल0बी0 की कक्षाएं खोलेगी? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में एम0ए0 ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, संगीत की कक्षाएं खोलने का प्रस्ताव

6–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से पी0जी0 स्तर पर एम0एम0 ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, संगीत (संगीत एवं वादन) की कक्षाएं खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त विषय खोलने की अनुमति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार द्वारा किसानों को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति देने पर विचार

7–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किसानों को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति देने पर विचार कर रही है?

क्या छोटे कृषकों के 5 हॉर्सपावर क्षमता वाले हैण्ड पम्पों एवं ट्यूबवैलों हेतु आधे दाम पर बिजली देने का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में कृषकों को 20 घण्टे नियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत घोषित 'औद्योगिक क्षेत्र'

8–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कौन–कौन से स्थान "औद्योगिक क्षेत्र" घोषित किये गये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद हरिद्वार में पूर्व से स्थापित/विद्यमान वृहद/मिनी औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों की स्थित निम्नवत् है :–

1–वृहद औद्योगिक आस्थान, रुड़की।

2–मिनी औद्योगिक आस्थान, लक्सर।

3–औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार।

4–औद्योगिक क्षेत्र, बहादराबाद।

5–औद्योगिक क्षेत्र, लण्ढोरा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/2001–एनईआर, दिनांक 7 जनवरी, 2003 से उत्तरांचल और हिमांचल प्रदेश राज्यों में औद्योनिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से औद्योगिक एककों हेतु घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रियायतों एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता के लिये हरिद्वार जनपद में निम्न स्थानों को विद्यमान एवं प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अभिज्ञापित किया गया है :–

"हरिद्वार, बी0एच0ई0एल0, मंगलौर, नारसन मोहन्द, लक्सर, लण्ढोरा, लालचौर, इकबालपुर"

उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार और भी औद्योगिक क्षेत्रों को राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार घोषित कर सकती है।

सरकार द्वारा चीनी मिलों में पेराई शुरू करने की तिथि का निर्धारण

9–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना पेराई सत्र, 2003–04 के लिए सरकार द्वारा चीनी मिलों में पेराई शुरू करने के लिए कोई तिथि निर्धारित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पेराई शुरू करने की तिथि का निर्धारण चीनी मिलों द्वारा ही किया जाता है। चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य क्षेत्र में गन्ने की फसल की परिपक्वता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

लक्सर, जिला हरिद्वार में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

10—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या मुख्यमंत्री भिज्ञ हैं कि लक्सर तहसील (जनपद हरिद्वार) का सृजन सन् 1990 में हो जाने के बावजूद भी लक्सर में अभी तक मुन्सिफ कोर्ट (सिविल जज, कनिष्ठ प्रभाग) की स्थापना नहीं की गयी है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को लगभग 70 किलोमीटर दूर रोशनाबाद कोर्ट जाने में कठिनाई होती है?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में लक्सर में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी हां।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल से संस्तुति/अभिमत मांगा गया है। उक्त संस्तुति प्राप्त होने पर प्रकरण में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

11—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

प्रथम गुरुवार के अतारांकित 87 में स्थानान्तरित।

नैनीताल में साइंस संग्रहालय की स्थापना

12—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नैनीताल शहर में साइंस संग्रहालय स्थापित करने पर अपनी सहमति दी गई है?

यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कथित भ्रष्ट आई0ए0एस0 अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही

13—श्री मदन कौशिक—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 में कितने आई0ए0एस0 अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी? उनमें से अब तक किन—किन को दण्डित किया गया है और कितनों के विरुद्ध जांच लम्बित है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2002 में एक आई0ए0एस0 अधिकारी के विरुद्ध कदाचार की जांच करायी गयी थी जिन्हें शासन द्वारा दिनांक 11–10–2002 को निलम्बित किया गया है एवं दिनांक 21–12–2002 को आरोप–पत्र निर्गत किया गया है और जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है। जांच का कार्य प्रगति पर है।

जनपद पिथौरागढ़ के कुकरोती गांव में विद्युत आपूर्ति

14–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1999 में ग्राम कुकरोती के कुछ परिवारों को विद्युत आपूर्ति की गई है?

यदि हां, तो क्या सरकार शेष बचे परिवारों को विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी?

श्रीमती अमृता रावत–

ग्राम कुकरोती में 14 परिवारों को विद्युत संयोजन दिये गये हैं।

जी हां।

जनपद पिथौरागढ़ के दाखिम गांव में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन

15–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में दाखिम गांव में वर्ष 1994–95 में अतिवृष्टि से विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी थी? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन को ठीक करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हां। 10 किमी0 लाईन ठीक कर दी गई है एवं शेष कार्य जून, 2003 तक पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट महाविद्यालय में छात्रों की मांग पर कार्यवाही

16–श्री नारायण राम आर्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि रा0महावि0 गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ में छात्रों ने नवम्बर, 2002 में भूख हड़ताल के समय अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया?

यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट–पिथौरागढ़ के छात्रों का ज्ञापन दिनांक 2–8–2002 एवं दिनांक 8–10–2002, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के माध्यम से तथा एक दिनांक रहित ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापनों में उल्लिखित छात्रों की मांगों का यथा सम्भव निराकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में खटीमा गोली काण्ड के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक

17–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या मुख्यमंत्री बताने के कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में सितम्बर, 1994 को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाने की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हां, तो शहीद स्मारक निर्माण की कार्यवाही कब प्रारम्भ होगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

शहीद स्मारक खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रेषित योजना/आगणन के अनुरूप रु0 2.5 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इस शहीद स्मारक का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के लोहिया हेड विद्युत गृह का सुदृढ़ीकरण

18–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल विद्युत गृह लोहिया हेड खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर के सुदृढ़ीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो सुदृढ़ीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से परियोजना के अवशेष जीवन के आंकलन हेतु अध्ययन किया जा रहा है। तदोपरान्त इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा परन्तु विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन बनाये रखने के लिये अति आवश्यक कार्य लगातार किये जाते हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में ऐराड़ी दुदिला गांव का विद्युतीकरण

19—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में ऐराड़ी दुदिला गांव में 1995 में मात्र विद्युत पोल गाड़ दिये गये थे? क्या सरकार विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत—

ग्राम दुदिला की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ठीक कर दिया गया है। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई संयोजन नहीं लिया गया है जिस कारण विद्युत आपूर्ति बन्द रखनी पड़ी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

पिछड़े वर्ग को राज्याधीन सेवाओं सम्बन्धी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन

20—श्री तसलीम अहमद—

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि राज्य में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित राज्याधीन सेवाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसम्बर, 1992 में पारित आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 22/16/92–टी0सी0/92, दिनांक 4/1/1993 का राज्य में अनुपालन नहीं हो रहा है?

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासनादेश संख्या : 22/16/92–टी0सी0/92, दिनांक 04–01–93 का अनुपालन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षण संस्थाओं को एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0आई0टी0एस0 तथा कम्प्यूटर के लिए मान्यता का मानक

21—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात कितनी शिक्षण संस्थाओं को एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0आई0टी0एस0 तथा कम्प्यूटर के लिए मान्यता दी गयी है?

क्या यह सत्य है कि कतिपय शिक्षण संस्थाओं को बिना मानक पूर्ण किये मान्यता दी गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

12 शिक्षण संस्थाओं को इन विषयों में मान्यता प्रदान की गई है।

कतिपय संस्थाओं को भूमि–भवन की व्यवस्था एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्था/सोसायटी के नाम पर कराये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

औद्योगिक पैकेज घोषणा के पश्चात सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति

22–श्री मदन कौशिक–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज घोषणा के पश्चात कुल कितने उद्यमियों ने उद्योग लगाने हेतु आवेदन किया है तथा सरकार द्वारा कितने उद्योगों को स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज घोषणा के पश्चात उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तरांचल में उद्योग स्थापना हेतु 66 उद्यमियों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है। उद्यमी निर्धारित नियमों एव मापदण्डों के अन्तर्गत उद्योग लगाने हेतु स्वतंत्र है।

उत्तरांचल में सरकारी नियुक्तियों पर रोक हटाने पर विचार

23–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में सरकारी नियुक्तियों पर लगाई गई रोक हटाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

क्या जनहित में सरकार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने का विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विभिन्न विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में नियमित नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

24–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

प्रथम बुधवार के अता० 55 में स्थानान्तरित।

शहीद अजय गुप्ता के आश्रितों को मुआवजा एवं सरकारी सेवा में नियुक्ति

25–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री को यह ज्ञात है कि सन् 1995 में लक्सर जनपद हरिद्वार में हुए जनान्दोलन में पुलिस फायरिंग से मृत श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री जय प्रकाश गुप्ता के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा तथा उनके परिवार के एक विकलांग आश्रित को सरकारी सेवा में सेवायोजित किये जाने का आश्वासन शासन द्वारा दिया गया था?

यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त परिवार को अभी तक न तो मुआवजे की पूरी धनराशि का भुगतान हुआ है और न ही विकलांग आश्रित को सेवायोजित किया गया है?

उक्त परिवार को कब तक राहत प्रदान कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री हरबंस कपूर–

प्रथम मंगलवार के अता0 103 में स्थानान्तरित।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से उत्तरांचल से सम्बन्धित रिकार्ड/पत्रावलियां लाने विषयक

27–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल हाई कोर्ट, नैनीताल में स्थापित होने के बाद अभी भी उत्तरांचल से सम्बन्धित मुकदमों की हजारों फाइलें इलाहाबाद हाई कोर्ट से नैनीताल हाई कोर्ट स्थानान्तरित न होने से वादकारियों को बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हां, तो क्या सरकार इन पत्रावलियों को शीघ्र नैनीताल उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कराने हेतु त्वरित कार्यवाही कर रही है?

यदि हां, तो कब तक उक्त पत्रावलियां नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच जायेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

इस सम्बन्ध में उत्तरांचल उच्च न्यायालय के गठन की तिथि से अभी तक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को 26039 मुकदमे स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल से अनुरोध किया गया है।

प्रदेश में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को चालू कराने पर विचार

28–श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी ऐसी जल विद्युत परियोजनायें हैं जिन पर धनाभाव के कारण कार्य बंद है?

इन जल विद्युत परियोजनाओं पर कितना-कितना धन खर्च हो रखा है?

क्या सरकार जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग में स्थित लघु जल विद्युत परियोजनायें कोठियालसैंण, कुण्ड, तिलवाड़ा, गोविन्दघाट, पाण्डुकेश्वर, पाणमती को पुनर्जीवित करने एवं इन बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को चालू किये जाने पर विचार कर रही हैं?

श्रीमती अमृता रावत–

धनाभाव के कारण कोई परियोजना बन्द नहीं है।

विवरण संलग्न है।

जी हां, तिलवाड़ा एवं पाणमती (थराली) परियोजनायें पुनर्जीवित की जा चुकी हैं तथा इन्हें उत्पादन योग्य कर लिया गया है। अन्य के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख', आगे पृ० 86 पर)

जनपद टिहरी में तैनात होमगार्ड जवानों को वेतन भत्ता न मिलने के कारण

29–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में तैनात होमगार्ड के जवानों को विगत कुछ महिनों से वेतन न मिलने के क्या कारण हैं?

क्या मंत्रीजी अवगत हैं कि पिछले वर्ष विधान सभा चुनाव में तैनाती का भत्ता भी आज तक होमगार्ड के जवानों को नहीं दिया गया है?

यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

होमगार्ड्स स्वयं सेवक होते हैं उन्हें वेतन नहीं मिलता है, वरन् दैनिक भत्ता दिया जाता है। इनके दैनिक भत्ते का भुगतान दिनांक 07–03–2003 को उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जा चुका है।

होमगार्ड्स की विधान सभा ड्यूटी दिनांक 09–02–2002 से 16–02–2002 तक थी। इन होमगार्ड्स को इस ड्यूटी में जाने से पूर्व रु० 500/– अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया। तत्पश्चात 85/– रुपये प्रतिदिन की दर से शेष धनराशि का भुगतान 04–04–2002 को कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराने की योजना

30—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार हर विद्युत उपभोक्ता को कब तक मीटर उपलब्ध करा देगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत—

मार्च, 2006 तक शत प्रतिशत मीटर उपलब्ध कराने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में बड़ा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव

31—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक यह स्थापित हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करने की वर्तमान में सरकार की कोई योजना नहीं है। जनपद चमोली में निजी क्षेत्रों में कोई नई बृहद उद्योग की पूंजी निवेश की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

32—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001—02 में क्या सरकार द्वारा 14 राजकीय महाविद्यालय प्रदेश में खोले गये थे?

क्या सरकार इन महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

सम्प्रति पद सृजित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर काण्ड में श्री भगत सिंह ग्राम कोदिया, रुद्रप्रयाग को सुविधा प्रदान करना

33—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में उत्तरांचल राज्य के आन्दोलन में कितने लोग लाठी चार्ज में घायल हुए थे?

क्या यह सत्य है कि श्री भगत सिंह ग्राम कोदिमा पट्टी रानीगढ़ जिला रुद्रप्रयाग भी, इस आन्दोलन में लाठी चार्ज से कान की चोट से बहरा हो गया?

यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा श्री भगत सिंह को कोई सुविधा प्रदान की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 55 (पचपन) व्यक्ति लाठी चार्ज में घायल हुये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

34—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

द्वितीय सोमवार के अता0 6 में स्थानान्तरित।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैं 7 सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूं।

1. श्री हरबंस कपूर।
2. काजी निजामुद्दीन।
3. श्री मदन कौशिक।
4. श्री मालचन्द।
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
6. श्री बिशन सिंह चुफाल
7. श्री अजय भट्ट

देहरादून नगर के बीचोंबीच से गुजरने वाले नाले की नियमित सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर—

मान्यवर, देहरादून नगर के बीचोंबीच से गुजरने वाले नाले की नियमित सफाई व्यवस्था न होने एवं नाले में सीवर लाइन खोले जाने के संबंध में आपके द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह नाला बकरालवाला से शुरू होते हुए चुक्खूवाला, लुनिया मोहल्ला, मन्नूगंज, खुड़बुड़ा मुहल्ला, इन्देश नगर से होते हुए भण्डारी बाग तक जाता है। नाला लगभग 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है तथा इसके रखरखाव की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है और न ही आज तक कभी इसके पूरे जीर्णोद्धार की कार्यवाही की गई है। नाला कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा नियमित सफाई के न होने के कारण सदा गन्दगी से अटा पड़ा रहता है। लुनिया मोहल्ला, मन्नूगंज, डांडीपुर, खुड़बुड़ा क्षेत्रों में कई स्थानों पर स्थानीय लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा सीवर की लाइनें नाले में खोल दी हैं जिससे गन्दगी एवं बदबू के कारण आबादी वाले क्षेत्र में लोगों का रहना दूभर हो गया है।

मान्यवर, इससे पूर्व भी श्री रमाशंकर कौशिक माननीय मंत्री नगर विकास, जल सम्पूर्ति एवं नेता सदन विधान परिषद् उत्तर प्रदेश ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2798(1)/9–5–94–11 नियम/94 दिनांक 18 अगस्त 1994 को मेरे नियम 301, के उत्तर में अवगत कराया था की कि नाले की नियमित सफाई सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी/प्रशासक नगर पालिका देहरादून को आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा मेन सीवर लाइन सहारनपुर चौक से कांवली रोड होते हुए इस क्षेत्र में डाले जाने के उपरान्त मैन ट्रंक लाइन जोड़े जाने का कार्य प्रस्तावित है उक्त कार्य प्रगति पर है जिसके पूर्ण हो जाने पर गन्दा नाले में खोले गये सीवर की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, लगभग आठ साल बीत जाने के पश्चात भी गन्दे नाले में सीवर लाइनें जो खुली थी उन्हें मेन ट्रंक लाइन से नही जोड़ा गया। स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है और कभी भी महामारी का रूप धारण कर सकती है।

लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का संज्ञान लेते हुए नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।

उत्तरांचल में नगर निकाय कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तरांचल में नगर निकाय कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात अन्य राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन दिये जाने के लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में जिसकी जनसंख्या 75,000 है, में बस स्टैण्ड तक नही है। वर्षों पहले यहां पर सिटी बस स्टैण्ड था और दिल्ली व अन्य जगहों से आने वाली बसें यहां पर रुकती थी लेकिन बाईपास मार्ग के निर्माण के बाद यह बस स्टैण्ड समाप्त हो गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्वालापुर की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बस स्टैण्ड को बनाया जाये।

अतः मैं जनहित में इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव मझेली गंगटाडी आदि विकास खण्डों में हुए भीषण अग्निकांड से पीड़ितों को राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मालचंद–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विकास खंड नौगांव के ग्राम मझेली गंगटाडी, विकास खण्ड पुरोला के ग्राम सर बडियाड ग्राम हुडेली विकास खण्ड मोरी के ग्राम कुमपाई, गंगाड, पुजेली, सटटा, पीसा एवं भैजेपी में अग्निकांड से लगभग 60 मकान पूर्ण रूप से एवं कई अन्न भंडार तथा पशु आदि जल कर राख हो गये थे, उपरोक्त पीड़ितों को राहत राशि पूर्व के शासनादेश के अन्तर्गत उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में जनहित में नही है। चूंकि वर्षा, ठण्ड/भूकम्प के मद्देनजर पहाड़ी गांवों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

मकान सीमेन्ट, सरिया से पक्का न बनवाकर पक्के मकान से अधिक कीमती लकड़ी, स्लेट आदि का मकान बनवाया जाता है।

महोदय,

1. मकान :-पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार, कैल आदि की लकड़ी एवं स्लेट से उनका निर्माण किया जाता है। लकड़ी पर सुन्दर नक्काशी की जाती है। जिसमें शासनादेश के अन्तर्गत मात्र छः मुबलिक रु0 6,000/- लगभग राहत राशि दी जाती है। चूंकि कीमत के आधार पर उक्त मकान पक्के मकान से अधिक कीमती होता है एवं शासनादेश के मुताबिक पक्के मकान को राहत राशि दस हजार मुबलिक (रु0 10,000/- लगभग) दी जाती है। जो कि जनहित में नहीं है।

2. अन्न भण्डार :-पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अपने अन्न भण्डार में पूरा राशन, जेवर रुपया तथा कीमती बर्तन आदि महत्वपूर्ण वस्तुएं अनाज भण्डार में ही रखते हैं। शासनादेश के तहत अनाज भण्डार प्रभावित व्यक्ति को कोई राहत राशि नहीं दी गई है।

3. कपड़ा बर्तन :-शासनादेश के अन्तर्गत कपड़े बर्तन हेतु एक हजार रुपये (रु0 1,000/-लगभग) सहायता दी जाती है जो कि सामान क्रय कर दिया जाता है।

4. पशु :-पशु के नष्ट होने पर कोई राहत राशि नहीं दी जाती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के तहत चर्चा की मांग करता हूं तथा जनता में उपरोक्त बिन्दुओं पर रोष खत्म करने हेतु व्यवस्था/जनहित में शासनादेश जारी करने की मांग करता हूं।

चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा झिलोटी मस्ट गांव में चल रहे पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा झिलोटी मस्ट गांव में चल रहे पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, उक्त दोनों ग्राम सभाओं में विगत वर्षों में आये भूकम्प के कारण परम्परागत पानी के स्रोत पूरी तरह से सूख गये हैं। लगभग 4 कि0मी0 की दूरी से पेयजल लाने के लिए जनता मजबूर हो गई है।

अतः मान्यवर, उक्त क्षेत्र में अविलम्ब पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सरकार विभाग को निर्देशित करें। जिससे ग्रीष्म ऋतु में जनता एवं मवेशियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिथौरागढ़ में अलगड़ा पेयजल योजना की पाईप लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में हुए पेयजल संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में अलगड़ा पेयजल योजना वर्ष 1962–63 में बनायी गयी थी। पाईप लाइन क्षतिग्रस्त होने से पेयजल योजना दो वर्ष से बन्द पड़ी है। क्षेत्र में पेयजल का संकट बना हुआ है। दो कि0मी0 की दूरी से लोग पीने का पानी ला रहे हैं। क्षेत्र में व्याप्त आक्रोश बना हुआ है। क्षेत्र की जनता विभाग से बराबर पुनर्गठन पेयजल की मांग करती आयी है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 ताड़ीखेत के बनघट नामक स्थान पर गगनस नदी पर झूलापुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 ताड़ीखेत के बनघट नामक स्थान पर गगनस नदी में एक झूला पुल निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है, इस पुल के न होने से हर साल बरसात में कई लोग बह जाते हैं तथा सिलोर घाटी से कई गांवों का सम्पर्क टूट जाता है। इस क्षेत्र में कोई मोटर मार्ग भी नहीं है, जिससे पूरी घाटी का जन–जीवन अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक है। मैंने इस स्थान पर झूला पुल निर्माण हेतु कई बार सरकार को लिखा है। जिस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पायी है, इस कारण इसे आज सदन के सम्मुख रखना पड़ रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को बनघट नामक स्थान पर झूला पुल निर्माण करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि आगामी बरसात से पूर्व झूला पुल का निर्माण हो सके।

औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की पहली सूचना डा0 नारायण सिंह जन्तवाल की प्राप्त हुई है, जो दि0 12–02–2003 को चांफी (पाण्डेछोड़) जिला नैनीताल में पुल के शिलान्यास के समय मा0 सदस्य को सूचना न देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न है। मैं इस मत का हूं कि सार्वजनिक समारोह में मा0 सदस्यों को समुचित सम्मान निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह चिन्तनीय है। भविष्य में अधिकारियों द्वारा इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं।

नियम 300 की दूसरी सूचना मा0 सदस्य श्री अजय भट्ट की है, जो मंत्रिमण्डल के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य पर आरोप–प्रत्यारोप लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचना अनिश्चित प्रतीत होती है। अतः मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

नियम 300 के अन्तर्गत तीसरी सूचना मा0 सदस्य श्री प्रकाश पन्त तथा श्री मातबर सिंह कण्डारी की है, जो दिनांक 28–3–2003 को उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) 2003 नियमों का उल्लंघन कर विचार एवं पारण किए जाने के संबंध में है। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश तथा सदन की सहमति पर यह कार्यवाही हुई है। अतः इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ग्राह्यता पर दो मिनट सुन लीजिए।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट, विमाण्डेश्वर ईडा मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट, विमाण्डेश्वर ईडा मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री देव सिंह अधिकारी एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी आदि निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र को पृथक जनपद बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र को पृथक जनपद बनाने के सम्बन्ध में" श्री भगवती प्रसाद भट्टी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में विज्ञान संकाय खोलने विषयक" श्री शशि मोहन एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ को तहसील बनाये जाने के सन्दर्भ में" श्री राकेश सेमवाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उत्तरकाशी के चामी सिगुणी–नौगांव, गोडर–सुल्याखोल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से "जनपद उत्तरकाशी के चामी सिगुणी–नौगांव, गोडर–सुल्याखोल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में "श्री कुशलानन्द एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद चमोली के चन्द्रशिला पट्टी गोदली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से "जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र चन्द्रशिला पट्टी गोदली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री देवेन्द्र सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत खोड़ा–खजुरानी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से "जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया अन्तर्गत खोड़ा–खजुरानी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में" श्री दान सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(मद संख्या–12 तथा मद संख्या–13 पर माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003

मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम का निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2003 की बैठक में दिनांक 31 मार्च से 4 अप्रैल, 2003 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2003, 31 सोमवार	(1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972)] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)
	(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)
	(3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)
	(4) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)
	(5) धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।
	(6) नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा :–
	श्री मदन कौशिक–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय।"
अप्रैल, 2003 01 मंगलवार	(1) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)
	(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
02 बुधवार	(1) उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)
	(2) उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)
	(3) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
03 गुरुवार	(1) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।
04 शुक्रवार	(1) श्री कौल दास द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा :–
	"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कॉलेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय–व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाय।"

(2) निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

(क) श्री बलवीर सिंह-"यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत कार्य हेतु खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आंगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया जाय।"

(ख) श्रीमती विजय बड़थ्वाल-"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाय।"

(ग) काजी निजामुद्दीन-"इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

(घ) श्री मातबर सिंह कण्डारी-"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।

(ङ) कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-(माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।)

संसदीय एवं लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :-

1. श्री काशी सिंह ऐरी
2. श्री अजय भट्ट
3. श्री मातबर सिंह कण्डारी
4. श्री प्रीतम सिंह पवार
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री प्रेमानन्द महाजन

7. श्री मदन कौशिक
8. श्री तसलीम अहमद
9. श्री हरबंश कपूर
10. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

उपरोक्त 10 सूचनाओं में से 5 सूचनाओं को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं को सुन रहा हू वे क्रमशः इस प्रकार हैं। पहली सूचना श्री काशी सिंह ऐरी (2) श्री अजय भट्ट (3) श्री बिशन सिंह चुफाल (4) श्री मदन कौशिक (5) श्री तसलीम अहमद जी की है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो सूचना दी है वह प्रदेश की चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। मान्यवर, काफी समय से राजकीय विद्यालयों में तथा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं, उनमें अध्यापक नहीं हैं। पठन–पाठन का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है। विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। नई पीढ़ी बरबाद होने के कगार पर आ गई है। सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से अध्यापकों की नियुक्ति का प्रकरण भी लम्बित पड़ा है। लम्बित होने का कारण न्यायालय में विवाद होना था किन्तु बाद में विभाग ने बताया कि न्यायालय ने स्थगन आदेश वापस ले लिया।

मान्यवर, सरकार ने अभी तक प्रदेश में जो प्रशिक्षित बी0टी0सी0 बेरोजगार हैं, उनका समाधान नहीं निकाला है। पदोन्नति की भी समस्या है, अभी तक सरकार की ओर से तथा विभाग की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। मान्यवर, अभी तक शिक्षा विभाग का ढांचा ही तैयार नहीं हुआ है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस समय प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, रोजगार की तलाश में हैं, उनका मन सरकार की नीतियों से ऊब रहा है। जो शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र हैं, वे भी परेशान हैं। मैं चाहता हूं सरकार इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जल्द से जल्द कार्यवाही करे।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं अपने को, अपने नेता के विचारों से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 18 राजकीय इण्टरमीडिएट, 14 राजकीय हाई स्कूल, 5 सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट और 6 सहायता प्राप्त हाई स्कूल हैं। इन सारे 80 प्रतिशत स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि के अध्यापक नहीं हैं। इसी प्रकार प्राथमिक व जू0हा0 में मानक यह है कि 40 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि कुछ क्षेत्रों में एक अध्यापक के स्थान पर 4–4 अध्यापक हैं तथा कुछ क्षेत्रों में अध्यापक ही नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाय, जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरे।

*डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में शिक्षा के माध्यम से ही रोजगार का माध्यम बना है। मान्यवर, प्रदेश में मानव के संसाधनों को विकसित किया जाए तो वे अपनी सेवा इस प्रदेश को मानवता के लिए दे सकते हैं। मान्यवर, गरीब तबके के लोगों में बड़ी निराशा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और जो लोग पैसे वाले हैं उनको दूसरी तरह की शिक्षा दी जाती है। मान्यवर, उस शिक्षा के चलते जो लोग रिटायर्ड हुये हैं उनकी जगह पर दूसरे लोगों को नहीं रखा गया है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भावी पीढ़ी के लिए एक अपराध है। मान्यवर, जो साइंस विद्यालय खोले गये हैं उनमें प्रयोगशाला नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सबसे ज्वलंत विषय है। मान्यवर, अगर हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर ली तो सामाजिक बुराईयों को ठीक करने की स्थिति में होंगे। मान्यवर, मैं अधिक समय न लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बी0टी0सी0 के विषय में क्या हो रहा है,उनके प्रति कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं किया है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सारे कार्य को रोककर इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा की जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हमारे सभी साथियों द्वारा उठाई गई हैं, हम स्वीकार करते हैं। मान्यवर, जितनी भी कमियां सम्मानित सदस्यों द्वारा गिनाई गई हैं, इस विभाग में सब हमें विरासत में मिली हैं। मान्यवर, इसका एक उदाहरण यह है कि 10–15 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे यहां साइंस के विद्यालय खोल दिये, लेकिन साइंस का कोई भी शिक्षक नहीं दिया। मान्यवर, 1992 से पूर्व धारा 18–ख होती थी जिसमें पर्वतीय तंत्र को नियुक्ति का अधिकार होता था कि वह अपनी शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करे, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 में बंद कर दिया था। हम इस धारा को तुरन्त खोलने के लिए विचार कर रहे हैं और अगले सत्र से पहले जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं उनके प्रबन्ध तंत्र को नियुक्ति का अधिकार देंगे। माननीय ऐरी जी ने कहा कि एल0टी0 के 2000 पदों में हमारी कुछ करने की मंशा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो 1200 पद एल0टी0 के गढ़वाल मण्डल में हैं और 800 पद कुमायूं मण्डल में हैं, इनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

मान्यवर, जुलाई के प्रथम सप्ताह से हम इन 2000 पदों पर नियुक्ति दे रहे हैं। जहां तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की बात है। 219 पदों का हमने अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है कि वह इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करे। शैक्षिक श्रेणी–2 के प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया हो गयी है, चरित्र पंजिकाएं पहुंच गई और मुझे आशा है कि अगले सत्र से पहले हम इसे भी कर देंगे। इसी तरह से आज विशिष्ट बी0टी0सी0 में नियुक्ति की बात हो रही है, विशिष्ट बी0टी0सी0 के हमारे कुछ बच्चे न्यायालय में चले गए थे और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश कर दिया था, हमने बहुत प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी स्थगन आदेश वैकेट हो जाए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि स्थगन आदेश अभी हाल ही में वैकेट हो गया है, और अब हम इसे भी जल्दी ही करने जा रहे हैं। 900 हमारे प्रशिक्षित बी0टी0सी0 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के लिए हमने आदेश निर्गत कर दिए हैं, यह आचार संहिता के कारण से रूका हुआ था। आपने बी0टी0सी0 प्रशिक्षण बन्द कर दिया था। मैन सोर्स आपने बन्द कर दिया था और यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम इसे शुरु कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी दोषारोपण कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास कोई ऐसा आदेश है जिसमें पिछली सरकार ने इसे बन्द कर दिया हो?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं कोई आदेश नहीं ले रहा हूं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन श्री तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कि एक सीनियर व्यक्ति हैं ये अपनी बात को कहें और किसी प्रकार का कोई दोषारोपण न करें। हमको मालूम है कि आपकी सरकार कैसी है, ठीक है आप जैसे–तैसे चला रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यदि कोई गलती मुझसे हो गयी हो तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से क्षमा याचना करता हूं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि बी0टी0सी0 प्रशिक्षण आपके ही कार्यकाल में बन्द हो गया था।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी गलत बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने अध्यापकों की नियुक्ति की है, मैं कहता हूँ कि इन्होंने एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 223 एल0टी0 ग्रेड की नियुक्तियां हमने की हैं, आप कह रहे हैं कि एक भी नियुक्ति नहीं की है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि इस वर्ष हमने कितनी नियुक्तियां की हैं इसकी जानकारी हम आपको अलग से दे देंगे। इसी के साथ हमने एक बात कह दी कि हमारी कुछ करने की मंशा है।

मान्यवर, 412 विद्यालयों को 2 कक्षों के निर्माण के लिए पैसा आवंटित किया है। 106 विद्यालयों को 4–4 कक्षों के निर्माण के लिए व 439 विद्यालयों को कम्प्यूटर से लैस किया है, 700 विद्यालयों को कम्प्यूटर से लैस करने जा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि हमारी कुछ करने की मंशा अवश्य है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है तो उसको पूरा करने का प्रयास है और जुलाई तक उक्त सारी नियुक्तियां कर दी जायेंगी। हमें यह कमियां विरासत में मिली हैं। हमारी कुछ करने की मंशा है। जुलाई से पहले अधिक से अधिक नियुक्तियां विद्यालयों में कर दी जायेंगी। आचार संहिता लगने के कारण इसमें थोड़ा विलम्ब अवश्य हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन त्रिपाठी व श्री नारायण सिंह जंतवाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को पूरे सदन के सामने आपके माध्यम से लाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ विपक्ष का ही मतलब नहीं है। क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि नियम 56 विपक्ष ही उठाता है। मान्यवर, यह एक ऐसा जनहितकारी प्रश्न है जो पक्ष–विपक्ष हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यवर, लम्बे समय से कई लोगों की सांठगांठ से उत्तरांचल में फर्जी आदेश पर दवाईयां अस्पतालों में सप्लाई की जा रही है। मान्यवर, जब आदेश ही फर्जी होगा तो उसकी दवाईयों की शुद्धता क्या होगी? यह सभी जानते होंगे। मान्यवर, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब मैंने कई अस्पतालों में छापा मारकर देखा था कि दवाईयां ऐसी किस्म की आ रही थी कि कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति इसको खा ही नहीं सकता है। मान्यवर, आज एक गरीब व्यक्ति जो जीवन रक्षक दवाईयां लेता है तो दवाई की जगह पर कैप्सूल में हल्दी भरी रहती है।

मान्यवर, उस पर क्या गुजरेगी, कैसे वह ठीक होगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो इस प्रदेश में होता रहा है, हमारे समय में भी होता रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मैं सारी बात ला रहा हूं। मान्यवर, यू०पी०डी०पी०एल० नामक एक कम्पनी काफी लम्बे समय से अस्पतालों में दवा सप्लाई करती आ रही थी, मान्यवर, पहले ट्रकों में दवा, संबंधित जिलों में भेजी जाती थी, उसमें होता यह था कि दूरस्थ जिलों में दवा पहुंच ही नहीं पाती थी, बीच में ही बेच दी जाती थी। इसके बाद यह हुआ कि 80 प्रतिशत दवाएं संबंधित अधिकारी सी०एम०ओ० और सी०एम०एस० जिलों में एवं 20% निदेशालय स्तर पर खरीदने का निर्णय लिया गया। मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि खराब किस्म की दवाओं की सप्लाई की जा रही है तो हमने सबसे पहले यू०पी०डी०पी०एल० की दवाएं खारिज की।

मान्यवर, यह भी संज्ञान में आया कि हल्द्वानी में कई दवाएं बाजार से अधिक कीमत पर खरीदी गई। 2 रुपये में मिलने वाली दवा को 8 रुपये में खरीदा गया। बाद में इसकी वसूली भी की गई। मान्यवर, इसमें होता यह था कि जिस फार्मेसिस्ट की दवा की दुकान है वह अस्पताल के नाम से बिल काट देता था, लेकिन दवा अस्पताल में जाती ही नही थी। इसकी एफ०आई०आर० भी हुई और मुकदमा भी कायम हुआ। इसके बाद क्या कार्यवाही हुई, वह माननीय मंत्री जी बताएंगे। क्योंकि तब मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। लेकिन, एक रैकेट और काम करता रहा है यह हमें पता नहीं था, हम यह समझते रहे कि एक बड़े रैकेट को पकड़कर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मान्यवर, इस बड़े रैकेट ने फर्जी क्रय आदेश बनाये। दवा खरीद के लिए तीन एजेन्सियों द्वारा औषधियां अनुप्रमाणित होती हैं। जिसमें डी०जी०एस०एन०डी०, डी०जी०एच०एस० एवं ई०एस०आई०सी० हैं। इनसे अनुप्रमाणित दवाइयों को ये ऐसा आदेश होता, कोई भी अस्पताल इसे ले सकता है।

मान्यवर, दवा का घोटाला कैसे हुआ यह मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने यहां के अधिकारियों से सांठगांठ करके फर्जी क्रय आदेश बनाये और कहा कि डी0जी0एस0एन0डी0 से हम एप्रूव करा लाये हैं। सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 इसे जानते थे लेकिन, इसमें इतने टेक्निकल शब्द होते हैं कि इसको आम आदमी नहीं समझ सकता है। इसके आधार पर ही करोड़ों की दवा खरीदी गई। माननीय मंत्री जी जो आंकड़े देंगे, उससे भी कहीं अधिक की दवा खरीदी जा चुकी होगी।

मान्यवर, इसमें हुआ यह कि जब सप्लायरों की आपस में लड़ाई हुई और अखबारों को एक सप्लायर ने रिपोर्ट दी, उसी के कारण यह घोटाला सामने आया इस घोटाले में किस तरह से जनता का पैसा बर्बाद किया गया है मैं उदाहरण देकर सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

मान्यवर, हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड पूना की टेट्रासाईक्लीन अभी हाल ही में उत्तरांचल सरकार द्वारा दर अनुबंधित की गई है। जहां बाजार में यह गोलियां 320 रुपये की 1000 मिल जाती हैं वहीं इसी फैमिली की सी मैक्स फार्मास्ट्यूकिल मुजफ्फरनगर की फर्म से 704 रु0 की 1000 गोलियां खरीदी गई इसी प्रकार जी0एस0 फार्मा मुजफ्फरनगर की कम्पनी से नौर फ्लॉक्सिन एवं ट्रिनिडीजॉल की 6 गोली का पत्ता 21 रुपये में सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदा गया है जबकि इसी कम्पनी की यही दवा बाजार में 170 रुपये की 180 गोलियां हैं। इसी प्रकार से जान्सन एण्ड जान्सन कम्पनी का सेवलोन है जो बाजार में 125 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से उपलब्ध है परन्तु मान्यवर, इसी का एक डुप्लीकेट मरमैड फार्मा, सहारनपुर की फर्म ने यही एक लीटर की बोतल को सैफलोन के नाम से निकाला है और हमारे अस्पतालों के लिए यही क्रय किया गया जिसकी कीमत 210 रुपया है और इस दवा की कम्पनी को वर्ष 2001 में खोला गया है।

(मा0 सदस्य ने सेवलोन तथा सैफलोन की बोतलें सदन के समक्ष दिखाई)

मान्यवर, हमने एक दवा नीति बनाई थी जिसमें यह उल्लेख है कि किसी भी दवा की कम्पनी जो 3 साल से चल रही हो, दवा बना रही हो और वह सी0ए0 तथा ड्रग कन्ट्रोलर से प्रमाणित हो तभी उससे दवा खरीदी जा सकती है।

मान्यवर, इससे तो यही स्पष्ट होता है कि उत्तरांचल में घुन लग गया है। इस उत्तरांचल राज्य में हो क्या रहा है? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी अपना पक्ष रखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जायेगा। मान्यवर, यह उत्तरांचल राज्य कुछ लोगों के लिए ऐशगाह बन गया है।

मान्यवर, जब हम कोई सामान लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम सामान की गुणवत्ता कैसी है यह देखते हैं, 10 जगहों पर जाकर उसका दाम पूछते हैं तभी हम सामान को खरीदते हैं और मोल-भाव करने के बाद जो सामान अच्छा हो और सस्ता हो, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो उसी को खरीदते हैं। परन्तु यहाँ पर इन सारी चीजों को ताक पर रखकर खरीदारी की गई और यह देखा कि कौन सा सामान महंगा है। मान्यवर, स्टैंडर्ड कम्पनियों से दवा नहीं खरीदी गयी, क्योंकि स्टैंडर्ड कम्पनियां कमीशन नहीं देती हैं। और कमीशन की खातिर यहां की जनता की गाढ़ी कमाई के धन का कैसे दुरूपयोग किया गया यह अभी मैं उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर चुका हूं।

मान्यवर, हम कनाडा का उदाहरण ले लेते हैं वहां पर जो सिस्टम है उसके अनुसार सभी को, चाहे अमीर हो या गरीब हो उसके लिए मेडिकल फैसिलीटीज फ्री हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह की व्यवस्थायें हमारे उत्तरांचल राज्य में भी होनी चाहिए।

मान्यवर, हमने औषधियों के क्रय के लिए एक नीति बनायी थी, जिसके तहत यह व्यवस्था थी कि औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे सी०ए० द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की टर्नओवर की प्रतियां ली जाय एवं उन्हीं फर्मों से दवा की खरीद की जाय जिनका टर्नओवर कम से कम औसतन 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो, केवल उन्हीं फर्मों से औषधियों का क्रय किया जाय जिसके लिये फर्म के पास डी०जी०क्यू०ए० (रक्षा मंत्रालय) का अनुमोदन अथवा डब्लू०एच०ओ० का जी०एम०पी० का पंजीकरण प्रमाणित हो। इसके अतिरिक्त निविदाएं निकाले जाने की भी व्यवस्था थी। निविदा में उल्लिखित औषधियों में से प्रत्येक निविदा फर्म को अपना उत्पादन व विक्रय के तीन वर्ष के अनुभव का प्रमाण–पत्र सी०ए० से प्राप्त कर संबंधित प्रान्त के औषधि नियंत्रक द्वारा प्रमाणित कराकर दिया जाना अनिवार्य होगा।

हमने औषधियों के क्रय हेतु एक केन्द्रीय समिति का गठन करने की बात भी कही थी, जिसमें अध्यक्ष, महानिदेशक होगा तथा सदस्य, उद्योग निदेशक या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक से कम न हो, शासन के चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, औषधि नियंत्रक, महानिदेशक द्वारा नामित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक/अपर निदेशक, चिकित्सा, वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा सहायक निदेशक (भण्डार)/चिकित्सा होंगे। उक्त केन्द्रीय क्रय समिति 25 लाख रुपये मूल्य की सीमा तक मात्रा अनुबन्ध व दर अनुबन्ध को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत होगी। रुपये 25 लाख से अधिक के प्रस्तावों पर शासन का अनुमोदन आवश्यक होगा।

हमने यह सारी व्यवस्थाएं इसलिए की थी कि इस प्रकार यहां की जनता को अच्छी दवाएं उपलब्ध हो सकें। मान्यवर, वर्तमान में क्या हो रहा है, सरकार द्वारा इसकी कोई चार्ज शीट नहीं बनवायी गयी है और अधिकारियों को दण्डित भी नहीं किया गया, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि आपके समय में भी ऐसा ही होता था। मैं मानता हूं कि हमारे समय में भी ऐसे प्रकरण सामने आए लेकिन हमारे सामने जब भी ऐसी बातें आयीं, हमने तुरन्त उन पर कार्यवाही की। किन्तु हम छोटे अपराधियों पर तो हाथ डाल सके जबकि उनके ऊपर के अधिकारी हमारे हाथ नहीं लग पाए। लेकिन आपने तो चार्ज शीट ही नहीं बनायी। हमारे समय में कम से कम इस तरह का तो कोई जी०ओ० नहीं हुआ, जैसा आप द्वारा तारीख 4 दिसम्बर को किया गया है कि आप फलां–फलां कम्पनियों से दवाएं खरीदिए। आपके द्वारा जब यह जी०ओ० किया गया, उसके बाद से इनके हौसले और बुलन्द हो गए।

मान्यवर, यदि आप कहें तो मैं आपके अवलोकनार्थ यह जी०ओ० प्रस्तुत कर सकता हूं। आखिर आपने एक सी०एम०ओ० और एक सी०एम०एस० को किस आधार पर हटाया और 20 अन्य लोगों को किस आधार पर छोड़ दिया। मान्यवर, चोरी चाहे 10 लाख की हो या 20 लाख की, चोरी तो चोरी ही होती है। सरकार इस पर पर्दा डालना चाह

रही है। मान्यवर, आज माननीय नेता सदन भी यहां पर उपस्थित हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हू कि आज ही सदन में इस बात की धोषणा होनी चाहिए कि जिन 20 अधिकारियों की तरफ शक की सुई घूमी है, उन सबको तत्काल प्रभाव से हटाया जाय तथा पूरे प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करायी जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिये। मात्र 2 अधिकारियों को निलम्बित करके आप बच नहीं सकते हैं।

मान्यवर, अगर आपकी मंशा साफ है तो आपको उन उस अधिकारियों को सस्पेण्ड करना चाहिए जिससे कि वह जांच से पहले कागजातों में गोंडा-गाड़ी न करें। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हू कि आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया।

श्री प्रकाश पंत-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभार प्रकट करता हू कि आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हू, यह प्रकरण कुछ प्रश्न खड़े कर रहा है। पहला तो यह कि जिस रेट कान्ट्रेक्ट की बात माननीय अजय भट्ट जी ने कही, रेट कान्ट्रेक्ट हो गया। सर्वप्रथम हमने, जो शासनादेश इस मध्य हुए उन शासनादेशों का अध्ययन किया जैसा कि अजय जी ने कहा वह 4 दिसम्बर का शासनादेश है जिसमें ई0एस0आई0 / डी0जी0एच0एस0 / डी0जी0एस0एन0डी0 से अनुमोदित दर पर औषधियां क्रय किये जाने के आदेश शासन ने महानिदेशक को दिये। यहां यह बता देना समीचीन होगा कि इन तीनों में से डी0जी0एच0एस0, डी0जी0एस0एन0डी0 यह दोनों, दवा क्रय के लिए रेट कान्ट्रेक्ट करती ही नहीं।

मान्यवर, यहां जो शासनादेश निकला उसमें इन्हें क्रय की अनुमति दी गई। सरकार को यह नहीं मालूम कि डी0जी0एच0एस0 और डी0जी0एस0एन0डी0 दवा के लिए मूल्य निर्धारण करती ही नहीं। सरकार को जानकारी मिली 20 फरवरी को। जो शासनादेश है, महानिदेशक ने उसकी सूचना एज इट इज जिलों को भेज दी। सरकार ने जरूरत ही नहीं समझी कि ई0एस0आई0 क्या है और डी0जी0एस0एन0डी0 क्या है। उसके बाद 20 फरवरी को नया शासनादेश होता है। यह महत्वपूर्ण है, विभागीय आदेश होता है उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डी0जी0एस0 एण्ड डी0 भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2001 से कतिपय औषधियों एबजारबेन्ट, कार्टन वूल, आई0बी0सेट आदि को छोड़कर किसी प्रकार की औषधि हेतु दर अनुबन्ध नहीं किया गया है। इसी प्रकार से डी0जी0एच0एस0 ने भी अवगत कराया है कि उन्होंने भी वर्तमान में किसी औषधि को क्रय हेतु दर अनुबन्ध नहीं किया है। न ही किसी फर्म को अनुबन्धित किया है। मान्यवर, उनके कुछ चुनिन्दा आईटम हैं जिनका यह क्रय अनुबन्ध करता है। उसके बाद तीसरा विभागीय आदेश होता है।

मान्यवर, पूरी कहानी पर नहीं जाऊंगा फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ तथ्यों को आपके संज्ञान में लाऊं। मान्यवर, 6 मार्च को एक आदेश जिसमें उल्लेख किया गया है कि आप जीवन रक्षक औषधियों को छोड़कर अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार की औषधियों का क्रय न करें यह आदेश जिला स्तर के चिकित्साधिकारियों को जाता है। 7 मार्च को एक अन्य आदेश निर्गत किया गया है जिसमें लिखा गया है कि

जीवन रक्षक औषधियों को छोड़कर अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार की औषधियों का क्रय न किया जाए। इसी परिपेक्ष्य में औषधि मद में अवशेष बजट को तत्काल दिनांक 12–03–2003 तक विशेष पत्रवाहक द्वारा इस महानिदेशालय को समर्पित कर दें।

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है कि सामग्री क्रय करने की एक सरकारी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा सामग्री खरीदी जाती है। इस प्रक्रिया के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पुस्तिका होती है जिसमें सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में नियम लिखे हुए हैं। विभाग के पास यह पुस्तिका होगी तथा जिला स्तर के अधिकारियों को भी यह पुस्तिका उपलब्ध कराई गई होगी। चूंकि उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवम्बर, 2000 को हुआ था तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सामग्री क्रय के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा–87 में लिखी हुई है उसी का अनुकरण उत्तरांचल में भी किया जाना चाहिए था। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पुस्तिका में एक संशोधन 14 अक्टूबर, 1996 को किया गया था जिसमें नियम 4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि रु0 500 की सीमा को बढ़ाकर रु0 2,500 कर दिया गया तथा नियम–9 में निर्धारित रु0 5,000 की सीमा को बढ़ाकर रु0 15,000 कर दिया गया। इस सीमा वृद्धि के फलस्वरूप रु0 2,500 तक की सीमा तक के सामान बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय किये जा सकते हैं। निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामान तथा अन्य सामान के क्रय हेतु रु0 15,000 से अधिक मूल्य के सामान के लिए टैण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्यों एवं मरम्मत सम्बन्धी रु0 15,000 से अधिक मूल्य के सामान के क्रय के लिए लोक निर्माण लेखा विषयों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् इसमें एक व्यवस्था आपातकालीन है जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दिए गये हैं कि नियमों के नियम 8 तथा नियम 9 (3) में उल्लेख है कि आपातकालीन स्थिति वाले मामले में कार्यालयाध्यक्ष एक बार में 20,000 रुपये मूल्य की सीमा तक सामग्री क्रय कर सकते हैं तथा विभागाध्यक्ष रु0 1,00,000 मूल्य की सीमा की वस्तुओं का सीधे क्रय सकते हैं। 20,000 रुपये से अधिक और रुपये 1,00,000 की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष को अपने विभागाध्यक्ष को शासन के प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार सीधे क्रय की स्वीकृति आदेश सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और ऐसे आदेशों पर स्पष्ट अंकित किया जाना आवश्यक होगा सम्बन्धित वस्तु का मूल्य सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुबंधित दर के अनुसार है और उसके अन्तर्गत उसी अवधि से सम्बन्धित विभाग के लिए उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत नहीं आता है तथा उन कारणों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग किया गया है। मान्यवर, सभी विभागों को इन नियमों का पालन करना होता है लेकिन इस प्रकरण में कहीं भी इन नियमों का पालन नहीं किया गया।

मान्यवर, सीधे महानिदेशक के माध्यम से एक पत्र गया है और उसी पत्र के मुताबिक खरीद की गयी। हमें यह जांच करनी होगी कि कौन प्रथम दृष्टया दोषी है।

किसी राज्य व्यवस्था के अन्दर चार चीजें होती हैं :–

(1) नीति निर्माता, (2) नीति निर्धारणकर्ता, (3) नीति प्रस्तावक, तथा (4) जारी करना।

परन्तु मान्यवर, सरकार द्वारा 5वें व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही कर दी है।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट तथा श्री प्रकाश पन्त ने दवा खरीद में हुई अनियमितता के विषय को रखा है। वैसे तो श्री अजय भट्ट पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह खरीद आज की नहीं है, यह खरीद लम्बे समय से चली आ रही है। मान्यवर, तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार को एक साल हो गया है, इस सरकार के कार्यकाल में एक भी घोटाला नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर कोई अनियमितता बरती गयी तो, सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। दवा खरीद को इस सरकार ने गम्भीरता से लिया है, जिस शासनादेश का उल्लेख किया जा रहा है, उसी के मुताबिक महानिदेशक स्तर पर दवा खरीदने की बात की गयी है। जहां तक अनियमितता की बात है, हमने इस पर तत्काल रोक लगा दी है और जांच बैठा दी है। 3–4 मार्च को हमने कमेटी गठित करके दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। तथा कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मान्यवर, हमने एफ0आई0आर0 भी दर्ज करा दी है।

मान्यवर, जिन लोगों ने फर्जी दरों पर किया है उनको हम जेल भेजेंगे। मान्यवर, हमने 75 लाख का भुगतान किया है, पर पूर्व में तो करोड़ों रुपये की खरीद चलती रही और किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो खरीद हुई है उसमें कार्रवाई होगी और हम सारी की सारी जांच करवायेंगे। कौन–कौन दोषी हैं और पूर्व में कितनी खरीद हुई है उसकी भी जांच करवायेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाई करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से यह बात प्रकाश में आई। मान्यवर, इस प्रकरण में जो शेष लोग हैं वह तो लीपा–पोती करने में लग गये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि उनको कब तक हटायेंगे?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाये।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कार्यवाई कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अब हम 3.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 10, 24 और 25 मार्च को सभी विकासखण्डों में भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गयी और किसानों के जो फल, साग–सब्जी भी नष्ट हो गयी और उत्तर प्रदेश के शासनादेश के आधार पर ही उत्तरांचल में भी मुआवजा दिया जाता है। इस शासनादेश के अन्तर्गत एक एकड़ भूमि में 500 रु0 का ही मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। मान्यवर, 500 रु0 तो एक एकड़ भूमि के बीज के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थितियां हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसके लिए नया शासनादेश निर्गत करे, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। मान्यवर, क्योंकि यह अविलम्बनीय, तात्कालिक एवं लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने नियम 56 के तहत जो जिज्ञासा व्यक्त की है, मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह सच है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में दिनांक 23 और 25 मार्च को और विकासखण्ड डीडीहाट में दिनांक 10 और 11 मार्च को 3 गांवों में 30 से लेकर 35 प्रतिशत तक और विकासखण्ड मुंस्यारी में 2 गांवों में दिनांक 26 मार्च को 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक क्षति हुई है। दिनांक 29 मार्च को विकासखण्ड मुनाकोट में 131 गांवों में 4 से 15 प्रतिशत तक फसलों को ओलावृष्टि से क्षति हुई है। जनपद के विभिन्न भागों में अलग–अलग समय में ओलावृष्टि से होने वाली क्षति के लिए जिलाधिकारी, तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी जांच करें कि ओलावृष्टि से कितनी क्षति हुई है। मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने अभी जिस तरह इस माननीय सदन को अवगत कराया और मैं भी कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल सरकार ने फसलों का मुआवजा देने का शासनादेश जारी किया।

मान्यवर, इस संबंध में प्रदेश सरकार अनेक अवसरों पर इस सम्मानित सदन को अवगत करा चुकी है कि प्रदेश सरकार ओलावृष्टि या दैवीय आपदा से कहीं कोई भी घटना होती है तो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कोई दिशा–निर्देशन निर्धारित नहीं कर सकती है। दैवीय आपदा की धनराशि में 75% धनराशि भारत सरकार की होती है और 25% का शेयर प्रदेश सरकार का होता है। मान्यवर, दैवीय आपदा में जो गाइडलाईन बनायी गयी है उसमें 100% पर भारत सरकार का दिशा निर्देशन होता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, यह सच है जब फसलों और उद्यानों का 50% से अधिक का नुकसान होगा तभी भारत सरकार के दिशा–निर्देशन के अनुसार उस किसान को मुआवजा दिया जाता है। मान्यवर, भारत सरकार का नियम है कि असिंचित फसलों के लिए 1000 रु0 प्रति हैक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 2500 रु0 प्रति हैक्टेयर दिया जा रहा है। बारहमासी फसल जैसे गन्ना आदि के लिए 4000 रु0 प्रति हैक्टेयर दिया जा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ को इस वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबन्धन

विभाग की ओर से विभिन्न मदों में 76 लाख 31 हजार रु0 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जहां तक माननीय सदस्य ने नियम 56 के अन्तर्गत यह अवगत कराया है कि नियमों में शिथिलता या परिवर्तन किया जाय।

मान्यवर, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और हमारी ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। मैं स्वयं माननीय श्री आडवाणी जी को इस संबंध में अपने प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत करा चुका हूं कि जिस प्रकार की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उस हिसाब से कोई नियम बनाए जाए। मान्यवर, मैं रुद्रप्रयाग व चमोली के दौरे पर स्वयं गया था। जिस तरह से असिंचित क्षेत्र के लिए 1000 रु0 प्रति हैक्टेयर दिया जाता है तो उस हिसाब से अगर एक नाली फसल नष्ट होती है तो मुश्किल से 50 रु0 मिलता है। इससे हमें खुद ही बहुत कष्ट होता है। इस संबंध में भारत सरकार को लगातार लिखा जा रहा है उनसे बातचीत की जा रही है। माननीय नेता सदन ने भी प्रयास किया है। इसमें उन्होंने बताया कि इस समय दशम् वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है जब 11वें वित्त आयोग की बैठक होगी उस समय हमारे प्रदेश की समस्याओं पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, केवल हमारा ही प्रदेश इसमें नहीं है। सारे प्रदेशों की यही स्थिति है। अभी हाल में हमने राजस्थान व गुजरात का भी दौरा किया है उनकी भी स्थिति हमारे ही जैसी है। वहां की सरकारें भी लगातार भारत सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो 25% प्रदेश सरकार का शेयर है उसको खर्च करने की अनुमति तो मिलनी चाहिए। मान्यवर, हम भारत सरकार की गाइडलाईन से बंधे हुए हैं।

मान्यवर, इसमें प्रदेश सरकार अपने स्तर से नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है वह वास्तव में बहुत गम्भीर है। हरिद्वार में जिस जमीन से संबंधित यह विषय है, वास्तव में उसका संबंध हरिद्वार के साधु-सन्तों से है, कुम्भ भूमि से है, वहां की जनता से है। 1935 की बंदोबस्त व्यवस्था के आधार पर ये लाखों वर्ग फिट जमीन नगरपालिका के अन्तर्गत आती थी और वही इसकी व्यवस्था देखती थी। खसरा नं0 81, 88 एवं 91 जिस पर क्रमशः कमलदास की कुटिया, दसनाम आश्रम व प्रेम प्रकाश आश्रम बने हुए हैं। इन तीनों खसरा नं0 को पंजाब के मुख्यमंत्री [xxx] पहले अपने नाम करा लेते हैं और राजस्व विभाग के साथ मिलकर खतौनी में भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जो सदस्य सदन में मौजूद न हो उसके नाम का उल्लेख न करने की परम्परा है। यह सभी सदस्यगण जानते हैं। (व्यवधान) आप बिना नाम के भी इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

नाम हटा दिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इन तीनों खसरा नं0 की जमीन [xxx] ने अपने नाम करा ली और राजस्व अभिलेखों में भी अपना नाम दर्ज करा लिया और उसके बाद सजरे में उनके साथ मिलकर एक लाख पन्द्रह हजार वर्ग फुट भूमि को बढ़वा लिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी एक परम्परा है कि सजरे और खेवट खसरा में कोई अन्तर आता है तो खेवट खसरा को मान्यता दी जाती है। पट्टा अपने नाम कराने के बाद वहां 100–150 लोग आते हैं और वे बराबर में पड़ी हुई जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और इस पर 8–8 फुट की दीवार खड़ी कर देते हैं और जमीन को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। हरिद्वार के लोग जब इस बात को महसूस करते हैं और जिलाधिकारी से मालूम करते हैं तो पता चलता है कि खसरा नं0 81, 88 व 91 को जिसे इन्होंने अपने नाम करा लिया है, वास्तव में वहां पर तीन बड़े–बड़े आश्रम बने हुए हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं उस जमीन पर आठ–आठ फुट की दीवार खड़ी कर दी जाती है। जब उनके इस कदम पर भी शासन तथा प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हरिद्वार की हजारों की जनता तथा संतों और महात्माओं द्वारा उस दीवार को गिरा दिया गया। लेकिन मान्यवर, इस जमीन पर काबिज मालिक ने मेरे तथा 5 अन्य लोगों के खिलाफ लूट का एक मुकदमा दर्ज किया गया। और उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरे ही दिन हरिद्वार की जनता और हजारों संतों महात्माओं द्वारा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सौभाग्य से उस दिन उत्तरांचल के माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर मौजूद थे और सभी लोगों ने उनके सामने अपनी बात को रखा। उसके बाद उनके द्वारा एक और लूट का मुकदमा दर्ज किया। जब कि उस जमीन से उनका कुछ भी लेना–देना नहीं था वह दो–ग्यारह मौजे की जमीन थी। इस जमीन को सन 1935 से नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार द्वारा कुंभ मेले या अर्द्ध कुंभ मेले में यात्री शिविर के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है और इसकी देखभाल भी वही करता है। लेकिन इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कोर्ट में जाते हैं और खसरा संख्या 81, 88 तथा 91 को लेकर एक मुकदमा दर्ज करते हैं और इसमें हरिद्वार विकास प्राधिकरण को पार्टी बनाया जाता है।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है जब कोई केस न्यायालय में हो तो उसकी चर्चा सदन में नहीं की जा सकती है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह जो जमीन है वह 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की जमीन है। इस पर आज कब्जा किया जा चुका है। जनता में, लोगों में आज भी यह डर है कि इस जमीन को बेचने की तैयारी की जा रही है। जो जमीन यात्री शिविर के रूप में इस्तेमाल की जा रही हो, वरं जो धार्मिक महत्व की हो, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो, उस जमीन को भू–माफियाओं द्वारा बेचने की तैयारी की जा रही है। मान्यवर, जो भी इस तरह की जमीन होती है उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, काफी चीजें माननीय सदस्य ने स्वतः ही स्पष्ट कर दी है। जिस जमीन का उल्लेख मा0 सदस्य ने किया है वह जमीन 1935 से नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार के पास है। यह जमीन 1998 के महाकुम्भ में भी यात्रियों के शिविर के रूप में प्रयुक्त की गई थी। इस जमीन का रखरखाव एवं देखभाल नगरपालिका परिषद् हरिद्वार द्वारा ही किया जाता है। इसमें दिनांक 11–10–2002 को माननीय न्यायालय सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के सामने एक वाद प्रस्तुत किया गया था। वह वाद उन वादीगणों द्वारा प्रस्तुत हुआ है जिनका नाम अभी माननीय सदस्य ने लिया है।

मान्यवर, माननीय न्यायालय सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के समक्ष प्रश्नगत भूमि के भूस्वामित्व के विवाद हेतु वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद योजित किया गया था, उक्त वाद को न्यायालय द्वारा दिनांक 11–10–2002 को वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया था। मा0 न्यायालय सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के निर्णय दिनांक 11–10–2002 के विरुद्ध नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार द्वारा मा0 जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अपील योजित की गयी, इसके अतिरिक्त हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा भी मा0 न्यायालय सिविल जज हरिद्वार के निर्णय दिनांक 11–10–2002 के विरुद्ध अपील योजित की गयी। अपील संख्या–42/2002 में मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22–10–2002 को अपील के निस्तारण तक पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। अपीलों में सुनवाई हेतु दिनांक 22–4–2003 नियत है। ऐसे में यह ठीक नहीं होगा कि अदालत में विचाराधीन मसले पर हम यहां कोई बात कहें।

व्यवधान

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय न्यायालय में जो प्रकरण विचाराधीन है, वह इस विषय से अलग है।

(बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस जमीन का पट्टा उनके नाम लिखा गया है, उसके अतिरिक्त किसी

भी भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

कार्य स्थगन प्रस्ताव की ईस सूचना पर माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना चौधरी यशवीर सिंह जी की है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा चौधरी यशवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं गन्ना किसानों के उत्पीड़न को लेकर यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, शुगर इण्डस्ट्री इस उत्तरांचल राज्य की सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है। इसके साथ ही यह उत्तरांचल राज्य की इकोनॉमी का सबसे बड़ा साधन है। मान्यवर, शुगर इण्डस्ट्री तब तक चलेगी, जब तक किसान गन्ना बोएगा और किसान गन्ना तब तक बोएगा जब तक उसको उसकी उपज का उचित दाम मिलेगा। मान्यवर, किसान 12 महीने सारा दिन खेत में लगकर गन्ना पैदा करता है, फसल काटता है और उसको मिल में बेचता है। यह तो सभी जानते हैं कि किसान मिल में जो भी गन्ना बेचता है, वह उधार बेचता है। किन्तु सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो गन्ना वह मिल को बेचता है, उसकी एक ट्राली कितने रुपये की है, इसकी जानकारी किसान को नहीं होती है।

मान्यवर, इसके अलावा उधार चला, नवम्बर से गन्ना शुरू हुआ और पेमेन्ट मिलना शुरू हुआ जनवरी, फरवरी में जब किसान सड़कों पर उतर आये। इसके पहले भी उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश की मिसाल दी जायेगी उत्तर प्रदेश में कोई शुगर मिल अक्टूबर में चला दी गई कोई अक्टूबर के महीने में नहीं चलायी उसे नवम्बर में चलायी गई। नवम्बर में किसानों का गन्ना होगा ही होगा तब गेहू की फसल नहीं बोई जायेगी तो किसानों का नुकसान होगा। किसानों का अब पेमेन्ट की बात आई तो पेमेन्ट एक्ट के अनुसार यह प्राविधान है कि 14 दिन के अन्दर–अन्दर गन्ना का पेमेन्ट शुगर मिल नहीं करती है तो उस पर किसानों को ब्याज मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां पर किसानों को ब्याज देने की बात कहीं गई हो। शुक्रवार को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया। उसमें भी कहा गया है कि उत्तरांचल के कृषि उत्पादों में गन्ने का महत्वपूर्ण स्थान है।

गन्ने के अधीन क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए शीघ्र कार्य योजना बन रही है। लोगों ने कहा गन्ना विभाग ने तो उसमें कुछ नहीं किया, किसानों ने अपनी मेहनत करके गन्ना बोया, लेकिन नतीजा क्या निकला, नतीजा उसका यह निकला कि उन्होंने गन्ने का ज्यादा उत्पादन कर लिया, मिल्स यह कह रही है कि बेसिक कोटा लिया जायेगा जिसका बॉन्ड भरा गया था, यह बेमानी की बात है। बड़े अफसोस की बात यह है कि जो किसान मेहनत करता है उसके पास फसल बोने तक का पैसा नहीं रह जाता। उत्तम शुगर मिल वहां मौजूद है अगर तीन ट्रेक्टर चल रहे हैं तो उन दो ट्रेक्टरों को एक ट्रेक्टर खींचता है। मान्यवर, गन्ने को नकद फसल कहा गया है

लेकिन इससे बड़ी उधार फसल कोई नहीं है। पिछली सरकार में डेढ़ साल में पैसा मिला था, शुगर मिल चाहे पांच दिन में बन्द हो, या 10 दिन में बन्द हो, आज ऐसा लग रहा है कि आधी फसल किसानों की खेत में पड़ी है, विकास की बात हो रही है, किसानों के विकास की कहीं कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आयी है जिससे कि किसानों की अनिश्चितता खत्म हो।

मान्यवर, मैं खुद किसान हूं। किसानों की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। आज का शेर आप की सरकार के नाम है–

"जब जेब में पैसा बजता है, जब पेट में रोटी होती है
तब यह जर्रा हीरा है, तब हर शबनम मोती है।"

*श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, आज जो किसान की हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मान्यवर, इसके साथ अभी जो गन्ने की फसल है उसके साथ एक बाण्ड भरा गया अभी उस पर भी कोई आश्वासन नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि आज सबसे ज्यादा परेशान छोटे किसान हैं। छोटे किसानों के पास लगभग 150 कुन्तल या 200 कुन्तल गन्ना होता है। वे एक साल के अन्दर दो फसल गन्ने की लेते हैं और एक ही फसल गेहूं की लेते हैं अगर छोटे किसान का गन्ना समय से नहीं कटेगा तो उसे एक गेहूं की फसल का नुकसान होगा। इस दफे जो गन्ने की हालत चल रही है उससे लगता है उसकी गेहूं की फसल जा रही है इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे किसानों का गन्ना फैक्ट्रियों द्वारा शीघ्र लिया जाए इससे छोटे किसानों को फायदा होगा। मान्यवर, गन्ने के भाव की बात की जा रही है तो अभी मेरे ख्याल से 80 के भाव से गन्ना खरीदा जा रहा है प्रयास यह किया जा रहा है कि गन्ना 95–100 प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जाए। पिछला बकाया पेमेंट दे दिया जाए।

श्री हरिदास–

मान्यवर, गन्ना हरिद्वार के किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि गन्ना 100–95 प्रति कुन्तल की दर से क्रय किया जायेगा किन्तु अभी तक उत्तरांचल की सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई है इसलिए मैं चाहता हूं सरकार शीघ्र इस सम्बन्ध में घोषणा करे। गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए सरकार की तरफ से सदन में वक्तव्य आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब तक किसानों के खेत से एक–एक गन्ना खत्म नहीं होता है तब तक सरकार की तरफ से मिलों को बन्द करने का कोई आदेश नहीं देना चाहिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और उत्तरांचल में विशेष तौर से मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल है। इस साल गन्ने की दुर्दशा हो रही है, किसानों ने खड़े खेतों को आग लगा दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको मैंने चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना विकास, राज्य मंत्री (श्री साधूराम)–

मननीय अध्यक्ष जी अभी एक संयुक्त हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित स्थगन आदेश की शिकायत आपके द्वारा हमें मिली। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कौन से नियम की बात कर रहे हैं, इसको सदन के सामने रखा जाय।

श्री साधूराम–

माननीय अध्यक्ष जी यदि कोई गलती हुई है, उसका मैं सुधार करता हूं। स्थगन आदेश के अन्तर्गत बहुजन समाज पार्टी की सूचना हमें मिली है। मान्यवर, सूचना कुछ और है, माननीय सदस्य कुछ और ही चर्चा कर रहे हैं। (तालियों की ध्वनि) मान्यवर, फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जिज्ञासा का जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, शुगर केन कंट्रोल आर्डर, 1966 के खण्ड–3 में दो प्रकार के गन्ना मूल्य की व्यवस्था की गयी है। (1) भारत सरकार द्वारा रिकवरी को आधार मानते हुए निर्धारित किया गया साविधिक गन्ना मूल्य, (2) चीनी मिल एवं गन्ना कृषक/गन्ना समिति मध्य सहमत गन्ना मूल्य।

मान्यवर, पूर्व में उत्तर प्रदेश द्वारा जो परामर्शिय गन्ना मूल्य चीनी मिलों के लिए किया जाता रहा है उसके सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी गयी है जिसके कारण गन्ना मूल्य सम्बन्धी प्रकरण लम्बित है। उत्तरांचल स्थित सहकारी व निगम क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा सामान्य प्रजाति के गन्ना हेतु मिल गेट पर 95 रु0 प्रति कुन्तल तथा अन्य प्रजातियों हेतु मिल गेट पर 92.50 रु0 प्रति कुन्तल की दर पर्चियां पर अंकित की जा रही हैं।

मान्यवर, जिसके विरुद्ध 75 रु0 प्रति कुन्तल की दर से आंशिक भुगतान के रूप में किया जा रहा है निजी क्षेत्र में स्थिति चीनी मिल काशीपुर द्वारा साविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य कृषकों को भुगतान किया जा रहा है। हरिद्वार स्थित चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों से हुए समझौते के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत लक्सर चीनी मिल द्वारा 80/85 रु0 प्रति कुन्तल तथा लिब्बरहेडी व इकबालपुर चीनी मिल द्वारा 80 रु0 प्रति कुन्तल की दर से आंशिक भुगतान किया जा रहा है। गन्ना मूल्य का भुगतान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से प्रतिबन्धित रहेगा। इस प्रकार गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य का भुगतान आंशिक रूप से लगातार किया जा रहा है। अतः उनके शोषण का कोई प्रश्न नहीं है।

यह कथन सत्य नहीं कि चीनी मिलों द्वारा सिर्फ बेसिक कोटे का ही गन्ना लिया जायेगा तथा भरे गये बांड निरस्त कर दिये गये हैं। जो भी बॉन्डेड गन्ना है उस समस्त गन्ने की पेराई करना चीनी मिलों की बाध्यता है जिसे सुनिश्चित किया जायेगा। चीनी मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश से हुए एम0ओ0यू0 के आधार पर गन्ना क्रय किया जा रहा है जिसका भुगतान आंशिक रूप से समानुपातिक किया जा रहा है। गन्ना खेतों में जलाने का कोई दृष्टांत संज्ञान में नहीं है। ज्ञातव्य है कि एम0ओ0यू0 के तहत विगत पेराई सत्र में उत्तरांचल की चीनी मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश से 95 लाख कुन्तल गन्ना लिया गया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, आप सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले सकते हैं, मेरा कहना है कि आज तक 95–100 रुपये के आधार पर भुगतान किया गया तो आज क्या स्थिति है। मान्यवर, मेरा कहना है कि उत्तरांचल की सहकारी चीनी मिलों के प्रति सरकार की कोई नीति होनी चाहिए। मान लिया कि किसान गन्ना नहीं जला रहे हैं। मान्यवर, पिछली बार उनको 95 रुपये के आधार पर दिया गया था। अब बजाय दाम बढ़ाने के दाम घटाकर दे रहे हैं, उनके 70 रु0 के आधार पर दिया जा रहा है। मान्यवर, लोगों ने कहा कि पर्ची नहीं दी जा रही है और अगर दे भी रहे हैं तो अधूरी दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सदन को किसानों के प्रति चिन्ता होनी चाहिए। आप दाम नहीं बढ़ा सकते हैं तो उनको पिछले पेमेण्ट को तो करें। आप किसानों को पैसा देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कोई एक निश्चित आश्वासन आ जाये कि यह सरकार किसानों के प्रति चिन्तित है। मान्यवर, कम से कम उनका पिछला पेमेण्ट सहकारी चीनी मिलों के द्वारा कर दें।

मान्यवर, चूंकि हमारे प्राइवेट मिल के लोगों ने बात की है, एक बार यदि आप पूरी कीमत दे देंगे तो प्राइवेट मिल के लोग भी पूरी कीमत देंगे। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि किसानों के प्रति थोड़ी भी दया हो तो इस पर पूरी चर्चा करानी चाहिए।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं हरिद्वार का किसान हूं, कोई कहीं और का है, हम सभी एक राज्य के किसान हैं, एक तरह से खेती कर रहे हैं। यहां के किसान को 70 रु0 मिले, वहां के किसान को 90–95 रु0 मिले। मान्यवर, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिंग है। उत्तरांचल शासन उस पेन्डिंग मामले के बारे में क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारी संरक्षक है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, विपक्ष ने जो मांग रखी है कि इस पर चर्चा करायी जाए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाए। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गन्ने के बारे में बहुत चिन्तित हैं।

श्री साधूराम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। मान्यवर, जो यह कह रहे हैं कि हमारे यहां से जो गन्ना सप्लाई हुआ है, जो गन्ना आया है, उस पर कई पर्चियों पर कोई रेट या कोई दर अंकित नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ होगा, परन्तु आपके यहां जिस समय आप सरकार में थे उस समय की पर्चियां भी मेरे पास रखी हैं, उनमें भी ऐसी ही कमियां थीं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो वरिष्ठ मंत्री उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

श्री साधूराम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेट जो तय किया गया है उसका डिक्लेरेशन करने की दिक्कत यह थी कि कोड ऑफ कन्डक्ट (आचार संहिता) की धारा लागू थी। आप जो कह रहे हैं यदि ऐसा न होता तो उसकी शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलता और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही यह धारा हट रही है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि यह सदन है अगर आपके मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उनके सहयोगी मंत्री इसका जवाब दे सकते हैं। हम मानते हैं कि माननीय मंत्री जी विद्वान हैं लेकिन अगर वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सहयोगी मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पर्ची की बात की है अगर वो पर्ची है तो दिखाएं।

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, फिलहाल जो बेसिक कोटा गन्ना है वह लिया जा रहा है अब किसानों के पास जो गन्ना बचता है तो उस फसल को किसान कहां ले जायेगा, उसमें आग लगा देगा। इसके लिए क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और प्रदेश को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह प्रदेश के किसानों का प्रश्न है और बड़ा ही संवेदनशील है। मान्यवर, इस संबंध में जो बिन्दु उठाये गये हैं उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है। मान्यवर अभी तक की स्थिति पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। 29 मार्च, 2003 तक 3 लाख 91 हजार रु0 बनता है और उसमें से केन प्राइज बना है 37 हजार 213 लाख रु0, 95 रु0 की दर से। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हम 75 रु0 के हिसाब से एडवांस पेमेन्ट कर रहे हैं। 29 हजार 547 लाख रु0 पेमेन्ट बनता है जिसमें से 18 हजार 514 रु0 का पेमेन्ट किया जा चुका है। हम लगातार इसका पेमेन्ट कर रहे हैं। मान्यवर, नादेही का 15 फरवरी तक, बाजपुर का 31 जनवरी तक, गदरपुर का 7 फरवरी तक, सितारगंज का 11 फरवरी तक, किच्छा का 15 फरवरी तक, डोईवाला का 20 फरवरी तक व काशीपुर का 31 जनवरी तक का पेमेन्ट हमारी सरकार द्वारा किया जा चुका है। हमारी सरकार किसानों के हितों के प्रति कृतसंकल्प है और किसानों के हितों के लिए संवेदनशील है। ऐसी दशा में यह जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूचना दी गयी है उसे आप अग्राह्य कर दें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह जो एडवांस पेमेन्ट की बात कर रहे हैं तो यह एक्ट में है कि अगर किसानों को 14 दिन के अंदर पेमेन्ट नहीं होता है तो उसको ब्याज सहित पेमेन्ट करना होगा।

मान्यवर, क्या आप ब्याज दिलवाएंगे? आप एडवांस पेमेन्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यह तो उधार हुआ।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तरांचल की सभी पेराई मिलों द्वारा पेराई सत्र 2001–2002 हेतु कुल देय गन्ना मूल्य रु0 442.64 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसे करने में परेशानी अवश्य आई, लेकिन फिर भी पुराना सारा भुगतान किया जा चुका है। जहां तक पेराई सत्र 2002–2003 हेतु गन्ना मूल्य का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान सत्र हेतु रु0 69.50 प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष की भांति गन्ने का परामर्शीय मूल्य घोषित किया गया था, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश को निरस्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि गन्ना अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को गन्ने का परामर्शीय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। गन्ने का न्यूनतम वैधानिक मूल्य अर्थात् एस0एम0पी0 केवल केन्द्र सरकार ही निर्धारित कर सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर रखी है। यह प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायाल में लंबित है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा एस0एम0पी0 के आधार पर इस शर्त के साथ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है कि यह भुगतान माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप होगा। अर्थात् इस समय जो दरें घोषित हैं उन दरों के आधार पर हम आपको धन दे रहे हैं इसे आप एडवांस कहें या कुछ और। जो मूल्य उच्चतम न्यायालय तय करेगा, उसको हम मानेंगे और उसी के अनुसार भुगतान भी करेंगे। मान्यवर, जो भी बॉन्डेड गन्ना है उस समस्त गन्ने की पेराई करना चीनी मिलों की बाध्यता है, जिसे सुनिश्चत किया जायेगा। मान्यवर, मैं फिर स्पष्ट करना चाहती हूं कि उच्चतम न्यायालय जो मूल्य निर्धारित करेगा, उसी के अनुसार किसानों को भुगतान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर श्री काजी निजामुद्दीन व अन्य सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें सरकार ने यह नहीं कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में जायेगी या नहीं। (व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश) कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प करता हूं कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र में जनता अपने चुने हुये प्रतिनिधियों से काम कराना चाहती है और यही मानक प्रजातंत्र में होता है। लेकिन समय–समय पर प्रशासक नियुक्त करना जनता का उत्पीड़न करना है कि सरकार ने ग्राम सभाओं आदि में प्रशासक नियुक्त कर दिये थे तो हमारी ग्रामीण जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस अध्यादेश के जरिये भी सरकार मात्र प्रशासक ही नियुक्त कर रही है जब कि इन समितियों में चुनाव कराये जाने चाहिए थे और यह सरकार प्रशासक नियुक्त कर रही है जो कि जिलाधिकारी होगा। मुझे डर है कि जिस तरह से मंत्रिपरिषद् में अंतर्कलह चल रहा है कहीं सरकार प्रदेश में ही प्रशासक नियुक्त न कर दे।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि इस अध्यादेश की धारा 2 में संशोधन कर दिया जाय जिसमें 31 दिसम्बर, 2003 तक प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया है उसका हम विरोध करते हैं हम यह चाहते हैं कि चुनाव कराये जायें और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाये।

मान्यवर, देश में लोकसभा और राज्यों में विधान सभा जनता के लिए कानून बनाती है और मैं यह चाहूंगा कि अध्यादेश बार–बार न लाकर सदन में विधेयक लाना चाहिए और कानून बनाना चाहिए इसलिए मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार यदि चाहती तो मण्डी समितियों के चुनाव कराये जा सकते थे। लेकिन चुनाव न कराकर अध्यादेश के द्वारा प्रशासक नियुक्त करा दिया जा रहा है जो कि जनपद का जिलाधिकारी होगा। मान्यवर, इससे किसानों के सामने काफी दिक्कतें आयेंगी। छोटी–छोटी समस्याओं के लिए भी उन्हें जिलाधिकारी के पास जाना होगा। जो कि कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। जिलाधिकारी मण्डी में भी नहीं आते हैं यदि कोई जनप्रतिनिधि उसकी जगह हो तो वह जनता को सुलभ भी रहता है। मान्यवर, इस प्रकार प्रशासक नियुक्त करके सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है और इसलिए मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं।

*कृषि एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं, अपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम, 1964 में यह व्यवस्था है कि निर्वाचित मण्डी समितियां हों। 1964 के बाद 1971 तक उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हुए 1972 में पुनः एक अधिनियम लाया गया, जिसमें अल्पकालिक व्यवस्था 2 वर्ष के लिए प्रशासक नियुक्त करने की लायी गयी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 के अन्तर्गत 1964 और 1972 के उप विधि नियम यहां भी लागू किये गये। उसी के आधार पर 31 दिसम्बर, 2002 तक हमने मण्डी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये। मान्यवर, मण्डी समितियों में चुनाव की प्रक्रिया वही है जो नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा ग्राम पंचायतों की है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। हमारी सरकार की मंशा है कि जल्दी ही मण्डी समितियों के चुनाव करा दिए जाएंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मण्डी समितियों के चुनाव सरकार कब तक करा लेगी? अब तो नगर पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, अभी सहकारी समितियों के चुनाव होने हैं, उसके बाद मण्डी समितियों के चुनाव कराने की पूरी मंशा सरकार की है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं अपने अननुमोदन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 का प्रतिस्थानी

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972, (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन-

उत्तरांचल राज्य के संबंध में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था, (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2002 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2003 तक" रख दिये जाएंगे।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री साधू राम)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवसथा (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, जिस संशोधन अधिनियम को यहां पर प्रस्तुत करने वाले हैं उसके संबंध में सरकार की ओर से निश्चित रूप ये बात आयेगी कि हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, मजबूरी थी, अदालत के आदेश थे, चुनाव आ गये थे या अन्य मजबूरी सरकार अपनी बतायेगी। आज इसको अधिनियमित किया जाने वाला है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तरांचल राज्य को बने ढ़ाई वर्ष व्यतीत हो गये, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को अभी तक हमने गम्भीरता से नहीं लिया और उत्तरांचल राज्य की अपनी विधि बनाने की जरूरत है, अभी तक हम केवल संशोधनों का सहारा लेते रहे। मान्यवर, इस पर प्रतिपक्ष के भाईयों ने इसलिए इसका अननुमोदन करने का निर्णय लिया कि सरकार इस विषय पर गम्भीर हो, संविधान के अनुच्छेद 243 पर गम्भीर हो। संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत विधि बनायें और पूरी तरह विधेयक लेकर आयें, इस तरह से हम कब तक संचालित करते रहेंगे।

मान्यवर, नगरपालिका जिसके चुनाव अभी सम्पन्न हुए उन चुनावों को भी हमने उत्तर प्रदेश की विधि के अनुसार ही सम्पन्न कराये। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि स्थानीय निकाय के चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए थे तब आपने वहां पर प्रतिनिधित्व किया था, उस समय आपने काफी अध्ययन भी किया था उसका लाभ अब उत्तरांचल की जनता को मिलना चाहिए इसलिए विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह करूंगा कि इस अधिनियम का अनुमोदन इस सदन के माध्यम से करायें ऐसा मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विधेयक को वापस ले। नगरपालिका से सम्बन्धित पूरी एक विधि तथा पूरा एक विधेयक तैयार करें और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सदन में प्रस्तुत करें। मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, जब हमने उत्तर प्रदेश के नगर निकायों के दोनों अधिनियम में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए तो माननीय सदस्यों ने बहुत कृपापूर्वक उनको स्वीकार किया। मान्यवर, चूंकि नगर निकायों के चुनाव में वार्ड मेम्बरों से लेकर बहुत अधिक प्रत्याशी भाग लेते हैं। इसका आंकलन जब माननीय इलेक्शन कमीशन ने किया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इस चुनाव में 9 करोड़ रु0 की धनराशि की आवश्यकता होगी। मान्यवर, उत्तरांचल अभी नया राज्य बना है तथा एक छोटा राज्य है इतनी बड़ी धनराशि को एक अच्छे मकसद के लिए भी खर्च करने में हमें समय लगेगा। इसलिए हमने यह समझा कि इस राशि को अभी इस मकसद में खर्च न करें तो उचित होगा। वरिष्ठ सदस्यों के सुझाव से हम सहमत हैं हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण समितियां कार्य कर रही हैं। एक उत्तरांचल राज्य के नगर आनिगम अधिनियम तैयार करने के लिए और दूसरी उत्तरांचल राज्य के नगर और क्षेत्रीय नियोजन का अधिनियम तैयार करने के लिए हैं। इसके लिए हमने उस समिति में वरिष्ठ सदस्यों को सम्मिलित किया है तथा इस समिति में हम बुद्धिजीवी और जानकार लोगों को सम्मिलित करने पर विचार कर रहे हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार ने इसका माडल एक्ट बनाया था उस माडल एक्ट के ऊपर हम विचार कर चुके हैं। हमारा प्रयास यह है कि इस दिशा में शीघ्रता से काम करें। यह एक गम्भीर विषय है। हर धारा के ऊपर इस समिति को विचार करना होगा।

मान्यवर, इस समिति में मुझे माननीय सदस्यों का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, इसके अतिरिक्त जनसाधारण और विशेषज्ञों के सुझाव भी आमंत्रित किये जा रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्य नहीं करेंगे, इसके अतिरिक्त इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में, मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अध्यादेश का प्रतिस्थानी

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 13–ख की उपधारा (3) में संशोधन–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 (ख) की उपधारा (3) निम्नवत् संशोधित की जाती है :–

राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन–पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाऐं, जैसा आवश्यक समझें, का शपथ–पत्र के साथ घोषणा–पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा।

3. उत्तरांचल अध्यादेश सं0 1,सन् 2003 का निरसन–

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित समझा जायेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है"।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। जिस तरह से दो अधिनियमों को एक अधिनियम बनाने की बात की जा रही है, और इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों से और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, यह सराहनीय कदम है।

मान्यवर, निकट भविष्य में एक विधेयक हमारे सामने आयेगा इन दोनों अधिनियमों को मिलाकर। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो संशोधन लाने की व्यवस्था पड़ी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस पर जब पूरे विस्तार से चर्चा हो रही है और कार्य हो रहा है, तो उसमें गति प्रदान करके हम एक पूर्ण रूप से अधिनियम प्रस्तुत करते और जिसमें ये सभी प्राविधान कर लिया जाता। मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश प्राप्त हुए और बाध्यता रही होगी, परन्तु मैं समझता हूं कि इसके साथ–साथ जो प्रयास माननीय मंत्री जी द्वारा किये जा रहे हैं उसमें और अधिक गति लाई जा सकती थी और इसे शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत करके इन सब प्राविधानों को उसमें सम्मिलित किया जा सकता था। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

वन एवं शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कार्य करने के ढंग को सराहा। मान्यवर, माननीय सदस्य और अन्य माननीय दलीय

नेताओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लें। मान्यवर, कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने हमें सहयोग दिया है, उनकी समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द उत्तरांचल अधिनियम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। चूंकि यह अधिनियम संशोधन के रूप में रहा इसलिए मैंने यह अधिनियम प्रस्तुत किया हैं। मान्यवर, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। अतः माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अध्यादेश का प्रतिस्थानी

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 44 उपधारा (3) में संशोधन–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (3) निम्नवत् संशोधित की जाती है :–

राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन–पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएँ, जैसा आवश्यक समझें, का शपथ–पत्र के साथ घोषणा–पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा।

3. उत्तरांचल अध्यादेश सं0 2, सन् 2003 का निरसन–

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) से निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 तक, खण्ड एक प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है"।

मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व एकत्र करने का आधार व्यापार कर है और उत्तरांचल में भी है, परन्तु अफसोस यह है कि जिस उद्देश्य के साथ आज इस अध्यादेश को विधेयक बनाने जा रहे हैं वह उद्देश्य बड़ा ही विचित्र है, विचित्र इसलिए क्योंकि यह राज्य बहुत ही छोटा राज्य है। 17 चौकियों का प्रावधान पिछली सरकार ने किया है, मुझे तो जानकारी है कि अभी 13 ही चौकियां खुल पायी हैं और उनकी व्यवस्था भी आज तक ठीक नहीं हो पायी है। करोड़ों रुपयों का

राजस्व व्यापार कर से मिलता है। इस छोटे से राज्य के करों के अवशेष के वादों का भी निस्तारण नहीं हो पाया और एक तरह से 13 चौकियों का कार्य था और इन्हीं के अन्तर्गत ये वाद आए होंगे। आखिर कहीं न कहीं कुछ विसंगति है। यह जो अध्यादेश है, जिसे सरकार विधेयक बनाना चाहती है, मैं इसका इसलिए विरोध करता हू कि हमारा राजस्व व्यापार कर के माध्यम से आता है तो पूरे सदन को अपेक्षा थी कि सरकार पूरा बिल लाएगी कि किस तरह से टैक्स लेना है, किस तरह से राजस्व आएगा आदि और यह ठीक है कि यदि उत्तर प्रदेश का ही बिल मानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जगह उत्तरांचल कर देते और इस तरह से सदन का समय भी जाया न होता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हू कि जो टैक्स की चोरी है उसमें भी सरकार कहीं न कहीं प्रोत्साहित कर रही है। पिछली बार राज्य सभा में उन 5 राज्यों का उल्लेख हुआ था जिन्होंने सर्वाधिक राजस्व एकत्र किया था, उसमें से उत्तरांचल का भी नाम था। मान्यवर, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्व का प्रतिशत ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपने अननुमोदन प्रस्ताव पर बल देता हू।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने विचार रखे हैं मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हू। यह कोई संदेह की बात नहीं है कि व्यापार कर के माध्यम से जो हमें कर प्राप्त होता है, जो राजस्व प्राप्त होता है वह अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व का सबसे बड़ा अंश है। और प्रदेश के आर्थिक विकास का एक मूल आधार है और जिस प्रकार से संशोधन के माध्यम से समय बढ़ाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। अभी वर्तमान में दो वर्ष का समय विभाग को दिया जाता है जिससे कि वह सारे मामलों का निस्तारण कर सके। एक साल से अधिक की अवधि बढ़ाने की जो आवश्यकता पड़ी है वह बात समझ में नहीं आती है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य जब नया बना था। उस समय कठिनाई थी यह सर्वविदित है, परन्तु इस समय सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त समय था, पर्याप्त साधन थे। जिसके माध्यम से उनका निस्तारण किया जा सकता है। समय से राजस्व प्राप्त होता और प्रदेश के आर्थिक विकास में उससे मदद मिलती। मान्यवर, इस तरह के प्राविधान को लाने से निश्चित रूप से जहां एक ओर हमारी सरकार शिथिल पड़ेगी और आदत सी बन जायेगी वहीं समय–समय पर आगे भी इस तरह के प्राविधान लाकर अपने वादों के निस्तारण के लिए अवधि बढ़ाने का प्रयास करेगी। इससे निश्चित रूप से प्रदेश का आर्थिक विकास बाधित होगा। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी दशा में सरकार को यह अवधि बढ़ाने समय न दिया जाए और अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए जाएं कि समय से वादों का निस्तारण करें और किसी लापरवाही के कारण अगर वादों का निस्तारण नहीं होता तो अधिकारियों को दण्डित करें। यह प्रदेश के हित में होगा और हम सबके लिए अच्छी बात होगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत संकल्प पर बल देते हुए यह कहना चाहता हू कि यह जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 है उसमें संशोधन कर सरकार विधेयक बनाना चाहती है उसका वास्तव में जो उद्देश्य और कारण है नहीं दिया है। इसकी अवधि को बढ़ाया जाना उचित नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना

चाहता हूं कि इसकी क्या गारण्टी है कि एक वर्ष तक अवधि बढ़ाएं जाने के बाद भी यह पूरा हो जायेगा?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिस प्रकार से श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर ने अपने विचार रखे हैं, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कुल कितने वाद अभी तक लम्बित हैं और क्या इन वादों का निस्तारण 31 मार्च, 2004 तक हो जायेगा?

मान्यवर, जिस प्रकार लोक अदालतों का गठन किया जाता है क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिसके अनुसार कैम्प लगाकर इन वादों को निपटाया जा सके? मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि श्रीनगर के जो बिक्रीकर अधिकारी हैं वे एक दिन हरिद्वार में बैठते हैं इसी प्रकार हरिद्वार के बिक्रीकर अधिकारी भी एक दिन श्रीनगर में बैठते है। क्या इसके लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है? मैं पुनः अपने साथियों के कथनों पर बल देता हूं।

संसदीय एवं लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। पिछले वर्ष भी यह स्थिति पैदा हुई थी कि सरकार ने कर निर्धारण हेतु एक वर्ष की अवधि बढ़ाई थी। मान्यवर, यह व्यापारियों की ही मांग है। यह सही है कि 13 चौकियां स्थापित हैं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने उत्तरांचल की सराहना की थी कि टैक्स अधिक जमा हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक टैक्स जमा हुआ है। जब केन्द्र सरकार अपना प्रस्तुतिकरण करेगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रशंसा होगी। यह प्रयास किया जायेगा कि स्टाम्प पूरा हो। उत्तर प्रदेश से जो कर्मचारी हमें मिले थे वे कोर्ट में चले गये। हमारी मंशा यह है कि कार्य हो और व्यापारियों को कठिनाई न हो। 1–04–2002 को अवशेष वाद : असिस्टेंट कमिश्नर कर निर्धारण के अन्तर्गत 2435, व्यापार कर अधिकारी के अन्तर्गत 11349, व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 के अन्तर्गत 30558। 1–04–2002 से 28–02–2003 तक निस्तारित वाद : असिस्टेंट कमिश्नर कर निर्धारण के अन्तर्गत 1764, व्यापार कर अधिकारी के अन्तर्गत 7606, व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 के अन्तर्गत 16636। 1–3–2003 को अवशेष वाद : असिस्टेंट कमिश्नर कर निर्धारण के अन्तर्गत 671, व्यापार कर अधिकारी के अन्तर्गत 3743, व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 के अन्तर्गत 13922। मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वे अपना अननुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के संशोधन हेतु अध्यादेश का प्रतिस्थानी

विधेयक

भारत गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 15 मार्च, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4, के परन्तुक में संशोधन–

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4 के परन्तुक को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा–

"प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ष 2000–2001 के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 2004 तक पारित किये जा सकते हैं।"

3. निरसन और अपवाद–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 2003 की बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2003 से 4 अप्रैल, 2003 तक के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2003
31 सोमवार

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(4) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(5) सरकारी संकल्प।

संकल्प

यह कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21–03–2002 को अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में आदेश पारित किया है कि शेट्टी आयोग की संस्तुति के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1–7–1996 से प्रदान किया जाय। पुनरीक्षित वेतनमान पर 1–7–1996 से 30–6–2002 तक अवशेष राशि या तो नगद भुगतान किया जाय या न्यायिक अधिकारियों के जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर दिया जाय। इस धनराशि को आयकर की गणना के लिए इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विभाजित किया जाय कि आयकर जमा करने का दायित्व कम से कम हो। जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली धनराशि को आयकर की कटौती के बाद जमा किया जाय;

यह कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों के विद्युत एवं जल आपूर्ति देयकों का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाय;

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की संख्या वर्तमान अनुपात 10.50 प्रति 10 लाख जनसंख्या से बढ़ाकर 50 न्यायिक अधिकारी प्रति 10 लाख जनसंख्या किया जाय;

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान एवं परिलब्धियों में वृद्धि के निर्देश से उत्पन्न समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा;

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में 25–11–2002 को यह आदेश भी किये हैं कि शेट्टी आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्तावित वेतनमान दिनांक 1–4–2003 से पूर्व लागू कर दिया जाय;

यह कि उत्तरांचल राज्य का गठन 9–11–2000 को हुआ है। अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों का अभी भी अन्तिम आवंटन पूर्ण नहीं हुआ है। न्यायिक अधिकारियों का वेतनमान तथा 1–7–1996 से अवशेष देयकों का भुगतान उपरोक्त कारण से उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय से जुड़ा हुआ है;

यह कि उत्तरांचल राज्य में वर्तमान में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या का अनुपात 19 प्रति 10 लाख जनसंख्या है। वर्तमान में काफी पद रिक्त चल रहे हैं। उत्तरांचल राज्य की जनसंख्या एवं स्वरूप को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों के पदों पर वृद्धि करना उचित नहीं होगा;

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में राज्य सरकार के ऊपर लगभग 25 करोड़ का आवर्तक तथा लगभग 215 करोड़ का अनावर्तक अनुमानित व्यय भार पड़ेगा। फलस्वरुप न्याय विभाग के आयोजनेत्तर बजट में असामान्य वृद्धि प्रदेश की जनता के हितों के अनुकूल नहीं होगी। विशेषकर जब योजनागत बजट में मूलभूत आवश्यकता यथा स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा, सिंचाई, सम्पर्क मार्गों के लिए वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण पर्याप्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उक्त आदेश का परिणामी प्रभाव यह पड़ेगा कि विधान सभा के निधि आवंटन एवं प्राथमिकता पर चर्चा एवं विनिश्चय की अधिकारिकता का अतिक्रमण होगा। उक्त से विधान सभा की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा;

यह कि राज्य सरकार के विभिन्न अन्य संवर्गों में भी वेतनमानों के बढ़ाये जाने का दबाव बनने की आशंका होगी जो राज्य सरकार के लिए अवांछित एवं उपयुक्त वातावरण बनाये रखने के प्रतिकूल होगा;

यह कि यह सदन संकल्पित करता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को परिवर्तित एवं उपान्तरित करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी वृहत्तर पीठ के समक्ष विषय पर नये सिरे से विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाय।

(6) धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

(7) नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा :–

श्री मदन कौशिक–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय।"

अप्रैल, 2003
01 मंगलवार

(1) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। (आधा घण्टा)

(3) नियम–103 का प्रस्ताव :–

श्री मातबर सिंह कण्डारी–"इस सदन का यह सुविचारित मत है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाये जाने की प्रक्रिया को सरल किया जाय।"

02 बुधवार (1) उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)

(2) उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)

(3) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

03 गुरुवार (1) उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 के विचार एवं पारण (आधा घण्टा)

(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

04 शुक्रवार (1) श्री कौल दास द्वारा प्रस्तुत लम्बित निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कालेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय–व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाय।"

(2) निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

श्री बलवीर सिंह नेगी –"यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के मरम्मत कार्य हेतु खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आंगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया।"

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान रिगोली या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाय।"

काजी निजामुद्दीन–"इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-(माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उच्चतम न्यायालय द्वारा शेट्टी आयोग की संस्तुति पर न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किए जाने पर विचार हेतु संकल्प (स्वीकृत)

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करती हूं कि "यह कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21-03-2002 को अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में आदेश पारित किया है कि शेट्टी आयोग की संस्तुति के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1-7-1996 से प्रदान किया जाय। पुनरीक्षित वेतनमान पर 1-7-1996 से 30-6-2002 तक अवशेष राशि या तो नगद भुगतान किया जाय या न्यायिक अधिकारियों के जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर दिया जाय। इस धनराशि को आयकर की गणना के लिए इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विभाजित किया जाय कि आयकर जमा करने का दायित्व कम से कम हो। जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली धनराशि को आयकर की कटौती के बाद जमा किया जाय।

यह कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों के विद्युत एवं जल आपूर्ति देयकों का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाय।

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की संख्या वर्तमान अनुपात 10.50 प्रति 10 लाख जनसंख्या से बढ़ाकर 50 न्यायिक अधिकारी प्रति 10 लाख जनसंख्या किया जाय।

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान एवं परिलब्धियों में वृद्धि के निर्देश से उत्पन्न समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में 25-11-2002 को यह आदेश भी किये हैं कि शेट्टी आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्तावित वेतनमान दिनांक 1-4-2003 से पूर्व लागू कर दिया जाय।

यह कि उत्तरांचल राज्य का गठन 9-11-2000 को हुआ है। अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों का अभी भी अन्तिम आवंटन पूर्ण नहीं हुआ है। न्यायिक अधिकारियों का वेतनमान तथा 1-7-1996 से अवशेष देयकों का भुगतान उपरोक्त कारण से उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय से जुड़ा हुआ है।

यह कि उत्तरांचल राज्य में वर्तमान में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या का अनुपात 19 प्रति 10 लाख जनसंख्या है। वर्तमान में काफी पद रिक्त चल रहे हैं। उत्तरांचल राज्य की जनसंख्या एवं स्वरूप को देखते हुए न्यायिक अधिकरियों के पदों पर वृद्धि करना उचित नहीं होगा।

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में राज्य सरकार के ऊपर लगभग 25 करोड़ का आवर्तक तथा लगभग 215 करोड़ का अनावर्तक अनुमानित व्यय भार पड़ेगा। फलस्वरूप न्याय विभाग के आयोजनेत्तर बजट में असामान्य वृद्धि प्रदेश की जनता के हितों के अनुकूल नहीं होगी। विशेषकर जब योजनागत बजट में मूलभूत आवश्यकता यथा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, सम्पर्क मार्गों के लिए वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण पर्याप्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उक्त आदेश का परिणामी प्रभाव यह पड़ेगा कि विधान सभा के निधि आवंटन एवं प्राथमिकता पर चर्चा एवं विनिश्चय की अधिकारिकता का अतिक्रमण होगा। उक्त से विधान सभा की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा।

यह कि राज्य सरकार के विभिन्न अन्य संवर्गों में भी वेतनमानों के बढ़ाये जाने का दबाव बनने की आशंका होगी जो राज्य सरकार के लिए अवांछित एवं उपयुक्त वातावरण बनाये रखने के प्रतिकूल होगा।

यह कि यह सदन संकल्पित करता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को परिवर्तित एवं उपान्तरित करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी वृहत्तर पीठ के समक्ष विषय पर नये सिरे से विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21–03–2002 को अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में आदेश पारित किया है कि शेट्टी आयोग की संस्तुति के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1–7–1996 से प्रदान किया जाए। पुनरीक्षित वेतनमान पर 1–7–1996 से 30–6–2002 तक अवशेष राशि या तो नगद भुगतान किया जाय या न्यायिक अधिकारियों के जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर दिया जाए। इस धनराशि को आयकर की गणना के लिए इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विभाजित किया जाए कि आयकर जमा करने का दायित्व कम से कम हो। जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली धनराशि को आयकर की कटौती के बाद जमा किया जाए।

यह कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों के विद्युत एवं जल आपूर्ति देयकों का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए.

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की संख्या वर्तमान अनुपात 10.50 प्रति 10 लाख जनसंख्या से बढ़ाकर 50 न्यायिक अधिकारी प्रति 10 लाख जनसंख्या किया जाए;

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान एवं परिलब्धियों में वृद्धि के निर्देश से उत्पन्न समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा;

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में 25-11-2002 को यह आदेश भी किए हैं कि शेट्टी आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्तावित वेतनमान दिनांक 1-4-2003 से पूर्व लागू कर दिया जाए;

यह कि उत्तरांचल का गठन 9-11-2000 को हुआ है। अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों का अभी भी अन्तिम आवंटन पूर्ण नहीं हुआ है। न्यायिक अधिकारियों का वेतनमान तथा 1-7-1996 से अवशेष देयकों का भुगतान अपरोक्त कारण से उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय से जुड़ा हुआ है;

यह कि उत्तरांचल राज्य में वर्तमान में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या का अनुपात 19 प्रति 10 लाख जनसंख्या है। वर्तमान में काफी पद रिक्त चल रहे हैं। उत्तरांचल राज्य की जनसंख्या एवं स्वरूप को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों के पदों पर वृद्धि करना उचित नहीं होगा;

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में राज्य सरकार के ऊपर लगभग 25 करोड़ का आवर्तक तथा लगभग 215 करोड़ का अनावर्तक अनुमानित व्यय भार पड़ेगा। फलस्वरूप न्याय विभाग के आयोजनेत्तर बजट में असामान्य वृद्धि प्रदेश की जनता के हितों के अनुकूल नहीं होगी। विशेषकर जब योजनागत बजट में मूलभूत आवश्यकता यथा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, सम्पर्क मार्गों के लिए वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण पर्याप्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उक्त आदेश का परिणामी प्रभाव यह पड़ेगा कि विधान सभा के निधि आवंटन एवं प्राथमिकता पर चर्चा एवं विनिश्चय की अधिकारिकता का अतिक्रमण होगा। उक्त से विधान सभा की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा;

यह कि राज्य सरकार के विभिन्न अन्य संवर्गों में भी वेतनमानों के बढ़ाये जाने का दबाव बनने की आशंका होगी जो राज्य सरकार के लिए अवांछित एवं उपयुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए प्रतिकूल होगा;

यह कि यह सदन संकल्पित करता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को परिवर्तित एवं रुपान्तरित करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी वृहत्तर पीठ के समक्ष विषय पर नये सिरे से विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाए", से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"।

राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का एक विचार पत्र होता है। उत्तरांचल राज्य हमें बहुत संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ। जनता की हमसे बहुत आकांक्षाएं हैं। इस राज्य का मकसद राज्य की जनता की इच्छाओं को पूरा करना है। उत्तरांचल राज्य का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास यहां की जलवायु और यहां की भौगोलिक स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमें करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी को, विगत में जो सर्वेक्षण किया गया उसके आधार पर कुशल राजनीतिज्ञ और अच्छे योजनाकार के रूप में प्रस्तुत किया है। जनता भी उनके नेतृत्व की प्रशंसा करती है। जब राज्य की मांग की जाती थी तो हमारे साथियों द्वारा यह सवाल भी उठता था कि जब यह राज्य अलग होगा तो इस राज्य की जलवायु और भूगोल को ध्यान में रखकर यहां की धरती को इस योग्य बनाया जायेगा कि यहां के संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सके। राज्य गठन के बाद जनता को एक वर्ष तक निराशा मिली उनकी जो आकांक्षाएं थी वे पूरी नहीं हो पाई। मान्यवर, जब घर बनता है तो सबसे पहले मकान के स्ट्रक्चर की बात होती है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि राज्य के ढांचे को प्रारम्भ में बनाने में पूर्व सरकार द्वारा कुछ भूल हो गयी है। इससे पूरे राज्य की जनता परेशान है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में शिक्षा मंत्री जी ने एक इंटर कालेज का उद्घाटन किया था, उस समय वहां पर चार हजार लोगों के साथ मैं भी मौजूद था उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने यहां पर एक अध्यापक की नियुक्ति की, आज भी वहां पर एक ही अध्यापक है। मेरे द्वारा छानबीन करने पर पाया गया कि फाइलों में वहां पर कोई स्कूल ही नहीं था। मान्यवर, अब इस सरकार ने स्कूल का शासनादेश जारी कर दिया है।

मान्यवर, इस स्कूल से जिन बच्चों ने 9वीं और 11वीं परीक्षा पास की है, उनको एडमीशन कौन देगा, यह अभी भी चर्चा का विषय है। मान्यवर, यदि इस स्कूल का छात्र किसी कम्पटीशन में बैठता है और निकलने पर उस छात्र की जांच होती है तो उसकी पूरी परीक्षा ही खराब हो जायेगी। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की इस समय जनता भी तारीफ कर रही है। इस सरकार ने तीन चुनावों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया है, इसके लिए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं सदन की ओर से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह सरकार राज्य के ढांचे पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है।

मान्यवर, वर्तमान वित्तीय वर्ष 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था और यह हर्ष का विषय है कि वर्ष 2001–02 के लिए अनुमोदित रु0 1050 करोड़ की वार्षिक योजना के विपरीत इस वर्ष केन्द्रीय योजना आयोग से रु0 1533 करोड़ की वार्षिक योजना का अनुमोदन प्राप्त हो सका। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मेरी सरकार द्वारा इस सत्र में लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है, चूंकि अभी वर्ष 2003–2004 के लिए वार्षिक योजना का आकार अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाया है। और मेरी सरकार की यह मंशा है कि बजट तथा वार्षिक योजना में तालमेल रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न न हों। इसे इस सरकार के जानकार लोगों ने किया ताकि जनता को कोई धोखा न हो, इसलिए इसको ठीक–ठीक किया जाना चाहिए।

इसी तरह से पांच सौ डाक्टरों की और आपके स्टाकमैन की नियुक्ति की जा रही है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, पशुधन इस देश का बड़ा धन है। मान्यवर, अभी यहां पर खुरपका–मुंहपका की बात चल रही थी तो उसकी कौन जांच करेगा।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कोई डाक्टर नहीं है अभी एक डाक्टर की नियुक्ति हुई। यह इस सरकार ने किया है, विगत सरकार ने कोई नियुक्ति नहीं की। मान्यवर, मेरी सरकार की यह मंशा और नीति इस प्रदेश के लिए ज्यादा खुशी की बात है। हमारी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति करके अपनी मंशा साफ की कि भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ने देंगे, उसको जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। यह इस राज्य ने सबसे पहले कार्य किया है।

इस सरकार ने इस राज्य के सभी लोगों के लिए उत्तराखण्ड नाम देने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड किया जाये। राज्य सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी में, साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी में, माइक्रोसाफ्ट वेयर के कार्यों में जो योगदान है, यह इस प्रदेश के लिए एक बुनियादी योजना है, जिससे सरकार यहां की पीढ़ी के लिए रोजगारों के लिए दरवाजा खुल गया। मान्यवर, यहां पर कृषि के लिए एक योजना बनाई जा रही है, यहां पर जड़ी–बूटी के लिए एक जड़ी–बूटी का पार्क बनाया जा रहा है।

मान्यवर, प्रदेश के लिए जड़ी–बूटी का जो पार्क और टेक्नोलॉजी का जो कार्य किया जा रहा है वह इस प्रदेश के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इन बुनियादी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में यहां विद्युत उत्पादन, यहां के उत्तरांचल विद्युत निगम द्वारा सभी वितरण सब–स्टेशनों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने का उल्लेख किया गया है, यहां 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण, कोटेश्वर, बांध, धौली गंगा, मनेरी भाली द्वितीय चरण में तथा विष्णु प्रयाग एवं श्रीनगर परियोजनाओं के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3700 मेगावाट क्षमता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कुल लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के विकास पर भी कार्य प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात उत्तरांचल जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करने के लिए जल निगम के मंत्री जी को और सरकार को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं और इसमें आशातीत प्रयास करने का जो वचन दिया गया यह बहुत ही बुनियादी प्रश्न है।

मान्यवर, अभी जो ढांचा नीतिगत तौर पर है, यदि विगत एक वर्ष पूर्व जब पूर्ववर्ती सरकार आई थी तब ऐसा होता तो हम एक वर्ष आगे उन्हीं योजनाओं में होते जिनमें एक वर्ष बाद हम विचार करेंगे चाहे वह योजनाएं सड़क निर्माण की हों, चाहे कृषि विविधीकरण की हों, चाहे पेयजल की हों, चाहे दूसरी तमाम विकास की हों। प्रदेश की जनता बहुत चिन्तित है, प्रदेश की जनता ने जो अपेक्षाएं की हैं कि इस राज्य के गठन का लाभ जन–जन को मिलेगा, इस पर हम सभी को गम्भीरता से विचार करना है। पिछली बार जब सदन पूरे 3 दिन तक नहीं चला तो जनता के समक्ष मैसेज गया कि आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने अकेले 40 सवाल किए थे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, किन्तु सदन न चलने से उनके उत्तर नहीं आ पाए।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पिछले सत्र में जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया। मैं प्रश्न पूछने से महरूम रह गया क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा सदन नहीं चलने दिया गया। इससे जो जनता के सामने संदेश गया वह बहुत खराब गया। हमारे विपक्षी सदस्य विद्वान हैं और योग्य भी हैं लेकिन वे लोग हमारी सरकार के कामकाज से घबराए हुए हैं इसलिए हल्ला–गुल्ला करके सदन को नहीं चलने दिया। मान्यवर, यहां पर मैं आपके

माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 13 जनपदों में विभिन्न भौगोलिक परिक्षेत्र हैं कहीं गन्ना होता है तो कहीं पर लोगों ने गन्ने के पौधे को ही नहीं देखा है। वहां की स्थिति भिन्न है। वहां के लोगों की आवश्यकताएं भिन्न हैं। कहीं पर जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को वहां के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए जो राज्य सरकार योजना बना रही है उसमें आप लोग सहभागी बने और सहयोग दें। उन योजनाओं को परिणित होने दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री फूल सिंह बिष्ट द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, विगत एक वर्ष से हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इस संबंध में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शहरी विकास मंत्री जी का पंचायत राज्य मंत्री जी का। जिस प्रकार से प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उसको अच्छी तरीके से सम्पन्न कराया। दूसरी ओर मैं उनको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं जो इस चुनाव में चुनकर आये हैं। मान्यवर जैसा कि उत्तराखण्ड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर जगह–जगह जो स्मारक बनाए जा रहे हैं उसके लिए हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। जैसा कि 1 सितम्बर, 1994 में जो खटीमा काण्ड हुआ था। उसके लिए मैंने अपनी विधायक निधि से एक लाख रु0 की धनराशि स्मारक बनवाने के लिए दी है। मान्यवर, 1 सितम्बर को खटीमा काण्ड हुआ वह उत्तराखण्ड के लिए हुआ था न कि उत्तरांचल के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर जैसे मेरा नाम गोपाल है अगर उसको बदलकर भैंसपाल रख दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा तो मान्यवर मेरा यह अनुरोध है कि हमारी सरकार उत्तरांचल को उत्तराखण्ड करने के लिए प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेज चुकी है इसके लिए सरकार का बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, हमारी सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली पेंशन को रु0 3016 प्रति माह से बढ़ाकर रु0 4000 प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। तराई बीज एवं विकास निगम का विभाजन, समाज एवं सैनिक कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न निधियों एवं आस्तियों का विभाजन आदि कई अन्य प्रकरण अंतिम चरणों में हैं और आशा की जा सकती है कि यथाशीघ्र इनका भी निस्तारण हो जायेगा। इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। प्रादेशिक सिविल सेवा व प्रादेशिक पुलिस सेवा से संबंधित कार्यवाही राज्यों के स्तर से पूर्ण होकर केन्द्र सरकार को अंतिम आदेश हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है तथा लगभग 34 विभागों के विषय में पदों के विभाजन पर आपसी सहमति बन जाने के पश्चात् कार्मिकों के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। राज्य परामर्शी समिति की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस पूरी कार्यवाही को 30 जून, 2003 तक पूरा कर लिया जाय। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, विभिन्न विभागों में आवश्यक पदों पर चयन की कार्यवाही में भी गति आई है और अब तक डाक्टरों एवं पशु चिकित्सकों के लगभग 500 पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के

पात्र हैं। माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी ने हर विधान सभा क्षेत्र को 1–1 करोड़ रुपये के कार्य दिये हैं। इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। हमारी सरकार स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू करके लोकायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग का ढांचा भी स्थापित किया जा चुका है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। विश्व विख्यात प्रौद्योगिकी संस्था माइक्रोसाफ्ट के अध्यक्ष बिल गेट्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट के बाद देश के लिये घोषित शिक्षा परियोजना का शुभारम्भ केरल के साथ–साथ उत्तरांचल से करने का निर्णय लिया। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। आपने सभी विद्यालयों को 2–2, 4–4 कमरे दिये हैं और इस वर्ष के अंत तक सभी इन्टरमीडिएट कालेजों में कम्प्यूटर व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई है। हमारे परिवहन निगम का भी विभाजन हो चुका है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि परिवहन निगम का गठन कर दिया गया है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक परिवहन निगम का बंटवारा नहीं हुआ है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि परिवहन निगम का गठन कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक जी ने संशोधन कर दिया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, हमारी कैबिनेट ने एक अलग परिवहन निगम गठित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में केन्द्र सरकार से संबंधित औपचारिकताएं भी पूर्ण की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उत्तरांचल में स्थित आस्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही अंतिम चरण में है। और यह आशा की जाती है कि यथाशीघ्र निगम क्रियाशील हो जायेगा। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस कार्य को गति प्रदान की है। हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जो कमेटी हमने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन, अभी तक परिवहन निगम गठित नहीं हुआ है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मैं तो सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने इस उत्तरांचल प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प किया था

जो कि आज सफल होता जा रहा है। हमारी सरकार ने कोटेश्वर, विष्णु प्रयाग और मनेरी भाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सफल प्रयास किया है, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा अनेक परियोजनायें गतिमान हैं और छोटे-छोटे पावर स्टेशन बनाये जा रहे हैं। कुछ जनपदों जैसे पिथौरागढ़ आदि में बिजली की समस्या है लेकिन उनको छोड़कर सभी जनपदों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

मान्यवर, मैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सीमा में रहता हूं जहां एक ओर मेरे क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती है वहीं उत्तर प्रदेश के मझोला में मुश्किल से 8 घंटे बिजली आ रही है। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोहिया हेड पावर स्टेशन है जिसकी मरम्मत कई सालों से नहीं हुई थी लेकिन सरकार ने मेरे प्रश्न पर तत्काल प्रक्रिया की और उसके लिए 50 लाख रुपया दिया और आज उसकी मरम्मत हो रही है।

पेयजल के संबंध में भी सरकार बधाई की पात्र है जल संस्थानों का एकीकरण करके उत्तरांचल जल संस्थान बनाया गया है इससे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जनपद ऊधमसिंह नगर और जनपद देहरादून में बासमती चावल के लिए जो एक्सपोर्ट जोन बनाया है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। इसके अलावा रामनगर में लीची के लिए जो एक्सपोर्ट जोन बनाया गया है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

इसके अलावा जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाकर उनके उत्थान के लिए सरकार ने सराहनीय कार्य किया है इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विधायक श्री फूल सिंह बिष्ट जी के धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा कल जारी रहेगी।

प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय"।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत सर्व श्री अजय भट्ट, मातबर सिंह कण्डारी, प्रकाश पंत, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, महेन्द्र प्रसाद भट्ट, नारायण पाल, अनिल नौटियाल,

मदन कौशिक तथा श्री बलबीर सिंह नेगी की कुल नौ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं श्री बलबीर सिंह नेगी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा श्री अजय भट्ट की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

(इसके बाद सदन 05 बजकर 35 मिनट पर मंगलवार 1–4–2003 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून
दिनांक : 31 मार्च, 2003

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0प्र0सं0 14 (पीछे पृष्ठ 21 पर) का उत्तर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2003 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री अजय भट्ट, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं0–14 का

संलग्नक

मैसर्स राईट्स द्वारा सर्वे किये गये ग्रामों की जनपदवार सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	सर्वे किये गये ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत अथवा विवरण अप्राप्त ग्रामों की सं0	कुल ग्राम
1.	अल्मोड़ा	11	10	21
2.	रानीखेत	13	13	26
3.	रुद्रप्रयाग	11	4	15
4.	चम्पावत	17	3	20
5.	देहरादून	16	8	24
6.	टिहरी	34	19	53
7.	पौडी (कोटद्वार)	39	9	48
8.	उत्तरकाशी	24	7	31
9.	पौड़ी (श्रीनगर)	58	13	71
10.	पिथौरागढ	46	23	69
11.	बागेश्वर	25	17	42
12.	नैनीताल	38	11	49
13.	गोपेश्वर	40	31	71
	योग	372	168	540

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (पीछे पृष्ठ 32 पर) का उत्तर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं0–28 का उत्तरालेख का संलग्नक

क्र0सं0	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मे0वॉ0)	अनुमानित लागत लाख रु0 में	अब तक किये गये व्यय लाख रु0 में	पुनर्स्थापना लक्ष्य कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण
1.	पाण्डुकेश्वर	0.75	100.00	19.77	4/03	11/03
2.	चमोली	0.80	120.00	0.01	12/03	2/04
3.	तपोवन	0.80	61.00	30.00	3/03	10/03
4.	गुप्तकाशी	0.20	62.00	—	10/03	1/04
5.	गंगोरी	0.80	30.00	75.83	4/03	1/04
6.	कोटी	0.20	56.00	34.39	3/03	8/03
7.	बद्रीनाथ	0.06	40.00	—	5/03	10/03
8.	दुर्गापुर	1.15	70.00	10.00	6/03	6/04
9.	बागेश्वर (बालीघाट)	0.06	33.00	—	—	3/04
10.	गैंडीखेडा	0.20	अध्ययनरत्	—	—	—
11.	देवप्रयाग	0.05	अध्ययनरत्	—	—	—
12.	पटवारी	0.05	अध्ययनरत्	—	—	—
	योग :–	5.11				

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 विधान सभा/259–01–10–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।